

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA



'Achieving through Believing'

University Logo

University Logo is conceived with a globe at its centre surrounded by holy trinity of three arcs and at the bottom is a shloka taken from *NeetiShatkam* written by Bhartihari.

The arc at the bottom depicts an open book and a Veena, symbolising University's commitment to meeting the quest for acquiring knowledge, learning, enlightenment and promoting art and culture.

The arc at the right depicts processes of science, technology and adventure symbolising the University's commitment to developing scientific temper, enquiring approach and creating a culture of creativity and innovation for holistic development.

The arc at the left that depicts nature and symbolises University's commitment to promoting value based education, ethical conduct, inculcating respect for environment, ecology and living in harmony with nature.

The globe at the centre surrounded by the human chain and the pigeon flying above expresses University's belief that commitments represented by the trinity of three arcs shall lead to free spirit, global peace, prosperity and human solidarity-the real spirit of education.

The shloka “*VidyadhanamSarvadhanapradhanam*” at the bottom conveys that 'knowledge' is the unrivalled attainment for all.

ABOUT THE UNIVERSITY

University

The Central University of Haryana (established vide Central Universities Act 2009) is the only University of the state of Haryana to be funded and regulated by University Grants Commission and Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India.

Central University of Haryana is located at Jant-Pali villages of district Mahendergarh in South Haryana. Mahendergarh is now a part of the extended National Capital Region (NCR) and is around 125 kilometers away from Delhi. It is well connected to Delhi through railways.

Visitor of the University

His Excellency, the President of India, **Shri Ram Nath Kovind**

Chancellor

Prof. (Dr.) P. L. Chaturvedi

Vice-Chancellor

Prof. R. C. Kuhad

FAMSc, FNASc, FNAAS, FBRS

Vision

To develop enlightened citizenship of a knowledge society for peace and prosperity of individuals, nation and the world, through promotion of innovation, creative endeavours, and scholarly inquiry.

Mission

To serve as a beacon of change, through multi-disciplinary learning, for creation of knowledge community, by building a strong character and nurturing a value-based transparent work ethics, promoting creative and critical thinking for holistic development and self-sustenance for the people of India. The University seeks to achieve this objective by cultivating an environment of excellence in teaching, research and innovation in pure and applied areas of learning, with a focus on social enquiry, democratic ethos and inclusive socio-economic development, community out-reach initiatives, scientific endeavours and technological advancement.

Objectives of the University

The objectives of the University are:

- To disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning as it may deem fit;
- To make special provisions for integrated courses in humanities, social sciences, science and technology in its educational programmes;
- To take appropriate measures for promoting innovations in teaching-learning process and inter-disciplinary studies and research;
- To educate and train manpower for the development of the country;
- To establish linkages with industries for the promotion of science and technology; and
- To pay special attention to the improvement of the social and economic conditions and welfare of the people, their intellectual, academic and cultural development.

Quality Statement

Perseverance, determination, enquiry, ethical conduct, probity, transparency, accountability and continuous self-evaluation and improvement to form the cornerstones of all endeavors for holistic and inclusive growth and development of society through excellence in academics, research and all other relevant and meaningful pursuits.

EXECUTIVE COUNCIL

Details of Members of the Executive Council (As on 31st March, 2019)

1	Chairperson : Prof. R.C. Kuhad Vice Chancellor, Central University of Haryana		
2	Prof. M. Anandkrishnan Former Chairman, BOG IIT Kanpur, & Science City, Chennai Science City Building, Planetarium Campus, Gandhi Mandapam Road, Chennai – 600 025.	3	Prof. Yogesh Singh Vice Chancellor, Delhi Technological University, Shahabad Daulatpur, Bawana, New Delhi
4	Prof. V.K. Jain Vice Chancellor, Tezpur University, Napaam, Tezpur, Sonitpur, Assam (India), Pin-784 028	5	Prof. Sushma Yadav Vice-Chancellor, Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kalan, Haryana, Pin-131305
6	Prof. D.P.S. Verma Former Professor, Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.	7	Dr. V.K. Gupta Senior Vice President, Reliance Corporate Park, Navi Mumbai, Maharashtra
8	Dr. Payal Mago Principal, Shaheed Rajguru College of Allied Sciences for Women, University of Delhi	9	Dr. P. K. Khurana Principal, Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, Delhi
10	Dr. Avdhesh Kumar Pandey Associate Professor (Retd), D.A.V. College, Ambala	11	Prof. Bir Singh Dean, School of Language, Linguistics, Culture & Heritage, CUH
12	Prof. Sarika Sharma Dean, School of Arts, Humanities and Social Sciences, CUH	13	Prof. Nawal Kishore Dean, School of Physical & Mathematical Sciences, CUH
14	Prof. Rajesh Kumar Malik Proctor & Dean, School of Law, Governance, Public Policy and Management, CUH		
15	Secretary Sh. Ram Dutt, Registrar, Central University of Haryana		

ACADEMIC COUNCIL

Details of Members of the Academic Council (as on 31st March, 2019)

1	Chairperson : Prof. R.C. Kuhad Vice Chancellor, Central University of Haryana		
2	Dr. M.P. Poonia Vice Chairman, All India Council for Technical Education (AICTE), National Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi	3	Prof. R.P. Tandon, Professor Emeritus, Department of Physics and Astrophysics, University of Delhi, Delhi
4	Prof. K.P.S. Mahalwar Chair Professor, National Law University, Dwarka, New Delhi	5	Prof. R.K. Anayath Vice-Chancellor, Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal, (Sonapat), Haryana
6	Prof. S.V.S. Choudhary Professor, School of Education, Indira Gandhi National Open University, Maidan Garhi, New Delhi	7	Prof. (Dr.) Vijay Kumar Kayat Vice-Chancellor, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa – Haryana
8	Prof. M.C. Garg Professor, Haryana School of Business, Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar	9	Prof. Om Prakash Arora Emeritus Fellow, Department of Chemistry, Kurukshetra University, Kurukshetra
10	Dr. (Mrs.) Shimla Former Registrar, YMCA University of Science and Technology, Faridabad	11	Prof. P.C. Pattnaik Head, Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, University of Delhi, Delhi
12	Prof. R.S. Yadav Department of Education, Kurukshetra University, Kurukshetra	13	Dr. P.K. Khurana Principal, Shaheed Bhagat Singh College University of Delhi, New Delhi- 110017
14	Dr. Avanijesh Awasthi Associate Professor, P.G.D.A.V. College, University of Delhi, Delhi	15	Prof. Bir Singh Professor & Dean, School of Language, Linguistics, Culture & Heritage, CUH
16	Prof. Sarika Sharma Professor & Dean, School of Arts, Humanities & Social Sciences, CUH	17	Prof. Sanjiv Kumar Professor, Department of English and Foreign Languages, CUH
18	Prof. Nawal Kishore Professor & Dean, School of Physical and Mathematical Sciences	19	Prof. Rajesh Kumar Malik Professor & Dean, School of Law, Governance, Public Policy and Management, CUH

20	Prof. Deepak Pant Professor & Dean, School of Chemical Sciences, CUH	21	Prof. Satish Kumar Professor & Dean, School of Life Sciences, CUH
22	Prof. Neelam Sangwan Professor & Head, Department of Biochemistry, CUH	23	Dr. Ajay Kumar Bansal Associate Professor & Dean, School of Engineering & Technology, CUH
24	Dr. Parmod Kumar Associate Professor & Dean, School of Education, CUH	25	Dr. Chanchal Kumar Sharma Associate Professor & Head, Department of Political Science, CUH
26	Dr. Anand Sharma Associate Professor & Head, Department of Management Studies, CUH	27	Dr. Gunjan Goel Associate Professor & Head, Department of Microbiology, CUH
28	Dr. Vikas Garg Associate Professor & Head, Department of Civil Engineering, CUH	29	Dr. Rajesh Kumar Gupta Associate Professor & Head, Department of Mathematics, CUH
30	Dr. Vinay Kumar Rao Associate Professor, Department of History & Archaeology, CUH	31	Dr. Vinod Kumar Associate Professor, Department of Chemistry, CUH
32	Dr. Bijender Singh Associate Professor, Department of Biotechnology and Molecular Biology, CUH	33	Dr. Ajai Pal Sharma Assistant Professor, Department of Management Studies, CUH
34	Dr. Anju Beniwal Assistant Professor, Department of Law, CUH		
35	Secretary Sh. Ram Dutt, Registrar, Central University of Haryana		

FINANCE COMMITTEE

Details of Member of Finance Committee as
on 31.03.2019

1	Chairperson Prof. R. C. Kuhad Vice-chancellor, Central University of Haryana	
2	Joint Secretary and Finance Adviser, MHRD, or Hon'ble President of India nominee from Finance Bureau of MHRD not below the rank of Deputy Secretary	3
3		Joint Secretary (CU & L) of MHRD, or Hon'ble President of India nominee not below the rank of Joint Secretary to the Govt. of India.
4	Joint Secretary (CU), UGC or any other Joint Secretary level Officer nominated by the Chairman, UGC	5
5		Dr. Abhay Thakur, IRS, Finance Officer, Banaras Hindu University, Varanasi
6	Prof. D.P.S Verma Former Professor, Department of Commerce Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi	7
7		Dr. Vikas Gupta Joint Registrar, University of Delhi, Delhi
8	Prof. B. K Mohapatra, Registrar, L.B.S. Sanskrit Vidyapeeth , New Delhi	9
9		Sh. Manoranjan Tripathi Finance Officer, Central University of Haryana Secretary

Central University of Haryana
Balance Sheet As at 31 March, 2019

Particulars	Schedule No.	As on 31 March, 2019	As on 31 March, 2018
		Rupees	Rupees
A SOURCES OF FUNDS			
1 Funds			
(a) Corpus Fund/ Capital Fund	1	173,14,11,447	158,92,59,838
(b) Designated/Earmarked/Endowment Funds	2	-	-
(c) Depreciation Reserve Fund			5,05,85,161
		173,14,11,447	163,98,44,999
2 Current liabilities & Provisions			
(a) Trade/Accounts payables	3	6,03,34,219	2,12,49,466
(b) Other current liabilities	3	304,65,83,860	302,28,21,977
(c) Short-term provisions	3	4,17,98,854	4,23,48,836
		314,87,16,932	308,64,20,279
TOTAL		488,01,28,379	472,62,65,279
B APPLICATION OF FUNDS			
1 Fixed assets			
(a) Tangible assets	4	115,19,76,538	118,35,27,159
(b) Intangible assets	4	2,57,81,1	12,42,390
(c) Capital work in progress	4	-	-
		115,22,34,349	118,47,69,548
2 Investments from Earmarked /Endowment Funds			
(a) Long Term	5	-	-
(b) Short Term			
3 Investments - Others	6	-	-
4 Current Assets			
(a) Inventories	7	-	-
(b) Trade/Accounts receivables	7	-	-
(c) Cash and cash equivalents	7	93,88,48,537	89,13,78,107
		93,88,48,537	89,13,78,107
5 Loans & Advances			
(d) Short-term loans and advances	8	278,90,45,492	265,01,17,623
(e) Other current assets	7	-	-
		278,90,45,492	265,01,17,623
TOTAL		488,01,28,379	472,62,65,279
See accompanying Notes forming part of the financial statements			
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		

For and on behalf of
Central University of Haryana

Place: Mahendergarh
Date:

Finance Officer
Central University of Haryana
Jant-Pali, Mahendergarh (Hry.)
Pin-123029

Registrar
Central University of Haryana
जन्त-पाली, महेंदरगढ़ (हरियाणा)
पिन - 123029
जिला - महेंदरगढ़ - 123029

Central University of Haryana
Income & Expenditure Account for the year ended 31 March, 2019

Particulars		Schedule No.	As on 31 March, 2019	As on 31 March, 2018
			Rupees	Rupees
INCOME				
1	Academic Receipts	9	5,66,45,638	3,60,60,599
2	Grants & Donations	10	32,70,01,876	28,58.43,2 14
	Grants : Rs.338,97 1,264/-			
	Donations : Rs.0/-			
3	Income from investments	11	5,32,75,582	3,81,2 1,1 13
4	Interest Earned	12	50,76,576	37.14,697
5	Other I ncomes	13	91.03,850	97.84.781
6	Prior Period Income	14	-	-
A	Total Income (1+2+3+4+5+6)		45,11,03,522	37.35.24.404
EXPENDITURE				
7	Staff Payments & Benefits	15	20,4 1 ,97,629	18.83.37.319
8	Academic Expenses	16	2,05, 1 1 ,964	3.25.43.126
9	Administrative and General Expenses	17	9,56,95,998	5.76.54.806
10	Transportation Expenses	18	1 7,85,825	14.07.113
11	Repairs & Maintenance	19	47,76,978	58.11.400
12	Depreciation	4	33,481	89.450
13	Finance Costs	20	-	-
14	Other Expenses	21	-	-
15	Prior Period Expenses	22	-	-
B	Total expenses (7+8+9+10+ 1 1+12+13+ 14+15)		32,70,01,876	28.58.43.214
	Balance being excess of Income over Expenditure {A-B}		12,4 1,01,646	8.76.81.190
C	Transfer to/from Designated fund		-	-
	Building Fund		5,73,00,165	5.05.85.161
	Others		5,73,00,165	5.05.85.161
D	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund {C-D}		6,68,01,48 1	3.70.96.029
See accompanying notes forming part of the financial statements				
	Significant Accounting Policies	23		
	Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		

For and on behalf of
Central University of Haryana

[Signature]
Finance Officer, 21/11/19

[Signature]
Registrar

Place: Mahendergarh
Date:

Finance Officer
Central University of Haryana
Jant-Pati, Mahendergarh (Hry.)
Pin-123029

रजिस्ट्रार
केंद्रीय विश्वविद्यालय
जान्ट-पाटी, महेंदरगढ़ (हरियाणा)
पिन - 123029
जिला - महेंदरगढ़ - 123029



Speed Post
 भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
 कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
 Indian Audit & Accounts Department
 Office of The Principal Director of Audit (Central),
 Chandigarh



सं./No. पी.डी.ए. (सी)/के. व्यय/SAR CUHM/2018-19/2020-21/ 05

दि./Dated: 26.05.2020

सेवा में,

प्रति सं. 12238
 दिनांक: 2/6/2020
 लिखा विभाग (केन्द्रीय)

सचिव,
 उच्चतर शिक्षा विभाग,
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
 शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

विषय: Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलग्न पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

भवदीय,
 - 6270 -
 प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2017-18 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति, Central University of Haryana, Jant-Pali, Mahendergarh Haryana Pin: 123031 को प्रेषित की जाती है।

उप-निदेशक

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Central University of Haryana, Mahendergarh for the year ended 31 March 2019

1. We have audited the Balance Sheet of the Central University of Haryana, Mahendergarh as at 31 March 2019, Income & Expenditure Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 31(1) of the Central Universities Act, 2009. These financial statements are the responsibility of the University's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
4. Based on our audit, we report that:
 - i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this Report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Human Resources Development, Government of India vide order No. 29-4/2012-FD dated 17 April 2015.
 - iii) on our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by Central University of Haryana, Mahendergarh in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv) We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Sources of Funds

A.1.1 Current Liabilities & Provisions (Schedule 3)

Unutilised Grants: ₹298.25 crore

The University has not made any provision for refund of interest of ₹4.72 crore earned against Grants in aid during the years 2017-18 and 2018-19 to UGC in the accounts. This has resulted in overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund and understatement of Unutilised Grants by ₹4.72 crore each besides overstatement of Corpus by ₹4.72 crore.

A.1.2 Current Liabilities & Provisions (Schedule 3)

A.1.2.1 Unutilised Grants: ₹298.25 crore

As per the prescribed format (page 87 and 88), for calculating Income on account of Revenue Grant, expenditure as per Expenditure schedules (Non Plan column) of the Income and Expenditure Account and actual payments made for retirement benefits should be included but Provision made for retirement benefits should not be included.

Provision for Accumulated Leave Encashment and Gratuity amounting to ₹2.96 crore has been booked as Income on account of revenue grant during the years of 2015-16 to 2018-19 instead of

actual payments of ₹27.91 lakh made during this period which is in contradiction of the prescribed format. This has resulted in understatement of Unutilised Grants and overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund by ₹2.68 crore each besides overstatement of Income on account of Grant Subsidies of current year by ₹69.50 lakh.

A.1.2.2 Provisions: ₹4.15 crore

Ministry of Human Resource Development (MHRD) vide its Notification No.19-1/2017-IFD dated 12 April 2017 directed that matter of extension of Gratuity and Death Gratuity to the employees of Autonomies Bodies/ organizations covered under NPS under the MHRD is under consideration in MHRD in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance, therefore the benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to the employees of Autonomies Bodies/ Organizations covered under NPS should be withdrawn till a final decision is taken in the matter with approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance.

Above included provision of gratuity of ₹1.38 crore (including ₹41.77 lakh made during the year 2018-19). Provision for gratuity is not required to be made in view of above directions of MHRD. This has resulted in overstatement of Current Liabilities & Provisions and understatement of Capital Fund by ₹1.38 crore each besides overstatement of expenditure of current year on account of Staff Payments & Benefits by ₹41.77 lakh.

A.2 Application of Funds

A.2.1 Fixed Assets (Schedule 4): ₹115.22 crore

A.2.1.1 The University has not been preparing year wise details of additions and yearly depreciation has not been calculated on the basis of the life of the assets, instead the University is simply charging the depreciation on the total value of Gross Block, which has resulted in overcharging of depreciation on some of the assets even after the expiry of their life.

This has resulted in understatement of Computers and Peripherals as well as Corpus Fund/ Capital Fund by ₹0.50 crore each (₹3.26 crore – ₹2.76 crore) besides overstatement of depreciation of current year by ₹0.16 crore (₹1.83 crore – ₹1.67 crore).

A.2.1.2 Scientific and Laboratory Equipment's valuing ₹3.84 crore purchased during the year 2018-19, were wrongly included under head teaching aid. Depreciation on Scientific and Laboratory Equipment's was charged @ 7.5% instead of applicable rate of 8%. This has resulted in overstatement of Fixed Assets (Schedule 4) by ₹ 1.92 lakh besides understatement of depreciation to the same extent.

A.2.1.3 Depreciation on Plant & Machinery & Equipment's was charged @ 7.5% instead of applicable rate of 5%. This has resulted in understatement of Fixed Assets (Schedule 4) by ₹ 5.21 lakh besides overstatement of depreciation to the same extent.

A.2.1.4 Depreciation on Sports Equipment's was charged @ 7.5% instead of applicable rate of 5%. This has resulted in understatement of Fixed Assets (Schedule 4) by ₹ 0.96 lakh besides overstatement of depreciation to the same extent.

A.2.1.5 The University has not shown the assets falling under the head Electrical Installation & Equipment's (depreciation rate being 5 % per annum) as per the required applicable format, instead these have been shown under other heads. Fixed assets needs to be categorised under proper heads as mentioned in the prescribed format.

Observations at Sl.No. A.2.1.2 to A.2.1.5 above were included in the previous year SAR but no compliance was made by the University.

A.2.2 Current Assets (Schedule 7)

Cash and Bank Balances in Saving Bank Accounts: ₹7.90 crore

A.2.2.1 The bank has transferred an amount of ₹41.00 lakh from Auto Sweep Account of Salary Head to saving account No.782400011006945 of this head maintained in Punjab National Bank Account. The University has wrongly credited the head "Interest on Auto Sweep Account-6945" instead of

crediting “the Auto Sweep Account-6945”. This has resulted in overstatement of Income/Surplus and Corpus by ₹41.00 lakh each.

- A.2.2.2** As per the University Books of Accounts, balance in the Punjab National Bank Account No. 78240001100392 was ₹10.59 crore (₹0.26 crore saving bank balance + ₹10.33 crore Auto Flexi balance). The Bank has certified the balance of ₹10.66 crore as on 31.03.2019. The University has not prepared the reconciliation for the difference of ₹0.07 crore.
- A.2.2.3** As per the University Books of Accounts, there was a credit balance in the Punjab National Bank Account No. 78240001100426-NSS of ₹0.96 lakh. The Bank has certified the balance of ₹2.73 lakh. The University has not prepared the reconciliation for the difference of ₹1.77 lakh.
- A.2.2.4** As per the University Books of Accounts, there was a credit balance in the Punjab National Bank Account No. 78240001100426-NSS and Account No. 78240001106927 of ₹0.96 lakh and ₹14.63 lakh, respectively. Credit balances in these accounts indicate excess payments than the available balances from these bank accounts. The University did not provide reconciliation of these differences to audit.

A.2.3 Loans, Advances & Deposits (Schedule 8)

Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received: for capital works: ₹278.75 crore

- A.2.3.1** Above includes Furniture works amounting to ₹4.70 crore which had been completed against advance of ₹2.89 crore. Though these works had been completed, these were not capitalised. This has resulted in overstatement of Loans, Advances & Deposits by ₹2.89 crore, understatement of Fixed Assets by ₹4.47 crore (net), understatement of depreciation by ₹0.23 crore (@ of 5 % per annum on ₹4.70 crore) and understatement of Current Liabilities by ₹1.81 crore.
- A.2.3.2** Above includes expenditure of ₹60.66 crore incurred by CPWD on various Buildings works which should have been booked under Capital Work in Progress. This has resulted in overstatement of Loans and Advances and understatement of Capital Work in Progress by ₹60.66 crore.
- A.2.3.3** Out of the advance amount of ₹37.25 crore, two works of electrical installation amounting to ₹25.52 crore had been completed upto April 2017 but were not capitalised. This has resulted in overstatement of Loans, Advances & Deposits by ₹25.52 crore and understatement of Fixed Assets (Electrical Installations and Equipment) by ₹22.97 crore (net) and overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund by ₹2.55 crore (depreciation @5 % per annum for two years on ₹25.55 crore), besides overstatement of surplus of current year by ₹1.28 crore.

Physical and Financial Status for the balance advance amount of ₹11.73 crore (₹37.25 crore – ₹25.55 crore) released to CPWD was not available. .

- A.2.3.4** Above includes an amount of ₹ 3.22 crore paid (September 2016) to National Informatics Centre Services Inc. for providing Wi-Fi facility in the University. The work worth ₹ 0.96 crore was completed in June 2017 and was in use by the University since completion, however, the same was not capitalised. This has resulted in overstatement of Loans, Advances & Deposits by ₹0.96 crore, and understatement of Tangible Assets by ₹ 0.58 crore (net after charging depreciation of two years @20 % per annum) and overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund by ₹0.38 crore. Further, non-charging of depreciation on these assets has resulted in overstatement of surplus of the current year by ₹ 0.19 crore.

This point was included in previous year observation at Sl.No. A.2.2 but no compliance has been made by the University.

- A.2.3.5** Above includes an amount of ₹166.71 crore shown as advances paid to NBCC for construction of buildings and other development works. The buildings had already been completed upto July 2017 and were in use since completion but had not been captalised. This has resulted in overstatement of Loans and Advances by ₹166.71 crore, understatement of Tangible Assets by

₹160.04 crore (net) and overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund by ₹6.67 crore (depreciation @ 2% for two years). Besides, surplus for the current year was overstated by ₹3.33 crore to the extent of depreciation of current year.

Besides, NBCC had further demanded ₹15.53 crore in respect of this work which has been contested by the University. The disputed amount of ₹15.53 crore has not been disclosed under Contingent Liabilities.

A.2.3.6 Above includes an amount of ₹ 1.88 crore shown as advances paid to DHBVNL for providing electricity connections and shifting of lines. The work was completed and the DHBVNL had furnished (June 2017) the utilization certificate of ₹1.88 crore, however the expenditure was not capitalized in the accounts. This has resulted in overstatement of Loans, Advances & Deposits by ₹1.88 crore, understatement of Tangible Assets by ₹1.69 crore (net after charging depreciation of two years @ 5 % per annum) and overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund by ₹0.19 crore. Further, non-charging of depreciation on these assets has resulted in overstatement of surplus of the current year by ₹0.09 crore.

A.2.3.7 Canal Water Services Division, Mahendergarh submitted (September 2017) the final bill for the work of laying pipeline from Pump house MC-V Mahendergarh canal to Central University amounting to ₹6.95 crore including ₹0.47 crore for electricity connection. University deposited an amount of ₹6.46 crore (including the amount of electricity connection of ₹0.47 crore) upto 31.03.2019 with the agency. Since the work was completed and only testing was left, the expenditure of ₹5.97 crore (₹ 6.46 crore - ₹ 0.47 crore of electricity connection) already incurred should have been transferred to Work in progress.

Further, the provision for outstanding amount of ₹ 0.49 crore (₹ 6.48 crore – ₹ 5.99 crore) has not been made in the accounts. This has resulted in overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund and understatement of Current Liabilities by ₹0.49 crore each.

Observations in respect of above matters were included in previous SAR but no compliance has been made by the University.

B. General

B.1 Net impact of Audit comments on the Annual Accounts

Net impact of Audit comments on the Annual Accounts of Central University of Haryana, Mahendergarh for the year ending 31 March 2019 is as under:

- i Assets overstated by ₹8.08 crore.
- ii Liabilities understated by ₹ 8.32 crore.
- iii Corpus/Capital Fund overstated by ₹ 16.40 crore besides the Surplus is overstated by ₹ 10.04 crore.

B.2 Schedule 3C and Schedule 10 wrongly included balances of various sponsored project amounting to ₹2.18 crore. The correct amount was ₹2.75 crore (as per Schedule 3) which should have been shown under the Schedule 3A related to Sponsored Projects.

B.3 As per the prescribed format, Receipts and Payments Account has to be prepared. However, the University has not prepared the Receipts and Payments Account.

B.4 The University has also not prepared Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts and Payments Account in respect of GPF and NPS Accounts as per the requirement of prescribed format.

B.5 Mandatory disclosures in respect of (a) expenditure incurred on objects of the educational institutions (b) details of the services rendered by volunteers for which no payment has been made (c) details of items of exceptional and extraordinary nature (d) number of students and teachers (e) collection on account of building fund, sports activities, co-curricular activities, development charges and medical expenses & expenditure against each such head of collection (f) compliance with statutory dues like EPF and ESI (g) salary structure of teachers, have not been disclosed by

way of notes, as per the requirement of prescribed format.

This observation was also included in the Separate Audit Report of the previous year but no compliance has been made by the University.

C. Grant-in-Aid

- C.1** Out of the available funds of ₹71.50 crore (OH-31: ₹13.96 crore; OH-36: ₹15.01 crore and OH-35: ₹42.53 crore) including unspent previous year balance of ₹29.64 crore (OH31: ₹2.11 crore OH-36: ₹Nil and OH-35: ₹27.53 crore), Grant in Aid received during the year ₹41.86 crore (OH31: ₹11.85 crore OH-36: ₹15.01 crore and OH-35: ₹15.00 crore); the University utilized ₹47.54 crore (OH-31: ₹11.74 crore, OH-36: ₹15.01 crore, OH-35: ₹20.79 crore leaving unspent balance ₹ 23.96 crore (OH-31: ₹2.22 crore, OH-36: ₹Nil, OH-35: ₹21.74 crore) at the end of the year. The University had capital advances of ₹278.74 crore as on 31.03.2019. Thus, the University had an unspent balance of ₹302.70 crore (OH-31: ₹2.22 crore, OH-36: ₹Nil, OH-35: ₹300.48 crore) including capital advances at the end of the year.
- C.2** Government of India, Ministry of HRD, Department of Higher Education vide letter F. No. 23011/02/2018-IF.1 dated 25.10.2018 advised not to show the negative balances corresponding to the fund spent from IRG in the books of accounts, instead IRG/ Corpus fund should be debited corresponding to the expenditure incurred out of it. However, the University had incurred expenditure of ₹4.61 crore under the Object Head 36 of main grant in excess of funds available which was required to be met from Internal Revenue Generation.
- C.3** Moreover, the University had not included receipt of Grant of ₹0.35 crore (₹55.55 crore – ₹55.20 crore) and receipt of Sponsored Project of ₹0.07 crore (₹1.68 crore – ₹1.61 crore) during the year 2017-18 in the Schedule 3C.
- C.4** The unutilised grant (excluding capital advances) as on 31 March 2019 works out to ₹ 23.96 crore as stated in Comment No. C.1 whereas the same has been depicted as ₹ 19.50 crore in the Accounts. The difference of ₹ 4.46 crore needs to be reconciled.

D. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit report have been brought to the notice of the University's management through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

- v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:
- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Central University of Haryana, Mahendergarh as at 31 March 2019; and
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For
and on behalf of the C & AG of India
-Sd-

Principal Director of Audit (Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date:

Annexure to Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System.

Internal Audit system was found to be deficient as:-

- a) University has not prepared its Internal Audit Manual.
- b) Pre-audit system was in existence. One Consultant for Internal Audit has been appointed by the University but he is performing the duties of pre-audit.

2. Adequacy on Internal Control System

The Internal Control was inadequate in view of the following:

- a) Proper framework for establishing adequate information System has not been implemented.
- b) Accounting Manual has not been prepared;
- c) Confirmation of Loans and Advances from respective parties has not been taken.
- d) Print out of the Tally generated Vouchers were not been taken and authenticated by authorities of the University.
- e) In the Stock Registers maintained by the Store Department, totals of values of assets entered (upto 31.03.2019) therein have not been made and the assets entered therein are not grouped as per categories mentioned in the prescribed format. Thus, the Gross Block of Fixed Assets as recorded in the Annual Accounts could not be verified from the Stock Registers maintained.
- f) Misclassification of ₹ 7.39 lakh has been noticed in Fixed Assets shown in the schedule of Fixed Assets and the ledgers maintained in Tally. Misclassification indicates poor control in maintaining books of accounts.
- g) Item wise, highest and lowest levels of consumable stock have not been fixed and maintained.
- h) Ledgers of grants (OH-31, OH-35 and OH-36) have not been maintained properly as the grant ledgers are only showing grants receipt during the year. Other transaction of grant opening balance, expenditure made during the year are not being incorporated in Grant Ledger before arriving at closing balance.

3. Physical verification of Fixed Assets other than Library Books

Physical verification of Fixed Assets has not been conducted since the financial year 2013-14 except that physical verification of fixed assets purchased during the year 2014-15 was conducted in 2015-16.

4. Physical Verification of Library Books

Library was having 32133 books as on 31 March 2019. Last physical verification of library was conducted in October 2016. As per the GFR the next verification is to be conducted upto October 2019. The University stated that next verification will be conducted in June-July 2020.

5. Physical Verification of Inventory

A reference is invited to Sl. No. (v) of Significant Accounting Policies (Schedule 23) related to stocks which states expenditure on stock is accounted as revenue expenditure except that the value of closing stock held on 31st March is set up as inventories by reducing the corresponding revenue expenditure on the basis of information obtained from departments.

It has been observed that no such verification of stock was conducted to work out the closing stock as on 31.03.2019 as mentioned in the above mentioned Significant Accounting Policy.

6. Regularity in payment of Statutory dues

As per books of accounts the University was regular in payment of statutory dues.

-Sd-

Deputy Director

Central University of Haryana

Notes to the financial statements for the year ended 31 March 2019

Schedule 23 : Significant Accounting Policies

(i) Basis of preparation

These financial statements have been prepared and presented under the historical cost convention and generally on the accrual basis of accounting.

(ii) Revenue recognition

- a) Fees from Students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms, Royalty and Interest on Savings Bank account are accounted on cash basis. Tuition Fees collected separately for each semester is accounted on accrual basis.
- b) Income from Land, Buildings and other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.
- c) Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of Vehicles and Computers is accounted on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

(iii) Fixed assets and Depreciation

- a) Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward Freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- b) Gifted or Donated assets are valued at the declared value where available; if not available, the value is estimated based on the present market value adjusted with reference to the physical condition of the asset. They are set-up by credit to Capital Fund and merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets.
- c) Books received as gift, are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based on assessment.
- d) Fixed assets are valued at cost of acquisition. Depreciation calculated at the below mentioned rate should be transferred to "Depreciation Reserve Fund (DRF)". Amount to be apportioned to DRF should be from the balance of excess of income over expenditure. Depreciation calculated would not be deducted from the value of asset as the funding agency do not provide funds for the same. Depreciation on fixed assets is calculated on Straight Line method, at the following rates:

Category of assets	Depreciation Rate
Tangible Assets:	
• Land	0.00%
• Site Development	0.00%
• Building	2.00%
• Roads & Bridges	2.00%
• Tube wells & Water Supply	2.00%
• Sewerage & Drainage	2.00%
• Electrical Installation and equipment	5.00%
• Plant & Machinery	5.00%
• Scientific & Laboratory Equipment	8.00%
• Office Equipment	7.50%
• Audio Visual Equipment	7.50%
• Computers & Peripherals	20.00%

[Signature]
5/11/19

Central University of Haryana

Notes to the financial statements for the year ended 31 March 2019

• Furniture, Fixtures & Fittings	7.50%
• Vehicles	10.00%
• Lib. Books & Scientific	10.00%
Intangible Assets:	
• E-Journals	40.00%
• Computer Software	40.00%
• Patents and	9 years

- e) Depreciation is calculated for the whole year on additions during the year.
- f) Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in the Institution, are setup by credit to Capital Funds merged with the Fixed Assets of the Institution. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets. Assets created out of Sponsored Project funds, where the ownership is retained by the sponsors but held and used by the Institution are separately disclosed in the Notes on Accounts.
- g) Assets, the individual value of each of which is Rs. 2,000 or less (except Library Books) are treated as Small Value Assets, 100% depreciation is provided in respect of such at the time of their acquisition. However physical accounting and control are continued by the holders of such assets.
- h) During the year it is observed that University was capitalising amount paid against "Annual Subscriptions" under Library Books. To refine the process and to present a true and fair view all amounting standing as on 1st day of starting of financial year has been written off. Further any amount paid during the year is treated as revenue expenditure.

(iv) Intangible Assets

- a) Patents :The expenditure incurred from time-to-time (application fees, legal expenses etc.) for obtaining Patents is temporarily capitalized and shown as part of Intangible Assets in the Balance Sheet If applications for patents are rejected the application is rejected. The expenditure on Patents granted is written off over a life of 9 Years on a conservative basis.
- b) Electronic Journal (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the on-time access provided. E-Journals are not in a tangible form, but temporarily capitalized and in view of the magnitude of expenditure and the benefit derived in terms of perpetual knowledge acquired by the Academic and Research Staff; Depreciation is provided in respect of E-Journal at a higher rate of 40% as against depreciation of 10% provided in respect of Library Books.
- c) Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40% as against depreciation of 20% provided in respect of Computers & Peripherals.

(v) Stocks

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other store is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stock held on 31st March is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue Expenditure on the basis of information obtained from Departments. They are valued at cost.

[Signature]
31/3/19

Central University of Haryana

Notes to the financial statements for the year ended 31 March 2019

(vi) Retirement Benefits

Retirement benefit i.e., pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation. Capitalize Value of pension and gratuity received from previous employers of the Institution's employees, who have been absorbed in the Institution, is credited to the respective Provision Accounts. Pension contribution received in received of employees on

deputation is also credited to the Provision for Pension Account. The Actual payments of Pension, Gratuity and Leave encashment are debited in the Accounts to the respective

provisions. Other retirement benefit viz. Deposit Linked Insurance. Contribution to New Pension Scheme, Medical reimbursement to retired employees and Travel to Home Town on retirement are accounted on accrual basis (actual payments plus outstanding bills at the end of the year).

(vii) Investments


- a) Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lower. However any permanent diminution in their value as on the date of the Balance Sheet is provided is lower.
- b) Short Tenn investments are carried at their cost (if quoted) whichever is lower.

(viii) Earmarked/Endowment Funds

The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those with luge balance also have investment in Government Securities, Debentures and Bonds and Tenn Deposits with Banks. The income from investments I advances (House Building Conveyance and computer) on accrued basis and interest on savings Bank Accounts are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building Conveyance & Computer) are debited to the funds. The assets created out of Earmarked Funds where the ownership Vests in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investments and accrued interest.

- a) JRF/SRF Fund: Fund provided by the UGC/Government for the purpose of paying Fellowships to Junior/Senior Research Fellows.
- b) Conveyance Fu n d (Including Computer advances): A revolving fund for the purpose for paying interest bearing advances to officers & staff for the purchase of motor cars, two wheelers and computers.
- c) Endowment Funds: Endowments are fund received from various individual donors, Trusts and other organization for establishing Chairs and for Medals & Prizes, as specified by the Donors. While each of the Endowment fund has its own investment there is one savings Bank Account for all Endowment funds as the university balances against them are negligible.

The income from investment of each Endowment Fund is added to the Fund. The interest on Savings Bank ale is allocated to ll the Endowment Funds in the ratio of th(: year end closing balances in each fund. TIl e expenditure on Medals & Prizes is met from the interest


31/03/19

Central University of Haryana

Notes to the financial statements for the year ended 31 March 2019

earned on investment of the Endowment Funds and the Balance is carried forward. In respect of Chairs, however, the corpus of the Endowment is also used.

The balances are represented by Investment in RBI Bonds and Fixed Deposits and balance in the Saving Bank Accounts common for all Endowments, and Accrued Interest on Investment.

(ix) Government and UGC Grants

- a) Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.
- b) To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) government grants and grants from UGC are transferred to the Capital Fund.
- c) Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.
- d) Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

(x) Investments of Earmarked Funds and Interest Income Accrued on such Investments:-

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved Securities & Bonds or deposited for fixed term with Bank, leaving the balance in Savings Bank Accounts.


Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investment are added to the respective funds and not treated as income of the Institution.

(xi) Sponsored Projects

- a) In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current Liabilities and Provision -Current Liabilities - Other Liabilities - Receipts against ongoing sponsored project" As and when expenditure is incurred I advances are paid against such project, or the concerned projects account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.
- b) In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission, Fellowships and Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowship and Scholarships, which may include allowances for contingent expenditure by the Fellows and scholars.
- c) The Institution itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses.

(xii) Income Tax

The income of the Institution is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for tax is therefore made in the accounts.


5/11/19

Central University of Haryana

Notes to the financial statements for the year ended 31 March 2019

Schedule 24: Contingent Liabilities and Notes to Accounts

(i) Contingent Liabilities:

As on March 31, 2019, there were no contingent liabilities.

Court Cases filed against the Institution, by former/present employees, tenants and contractors and arbitration cases with contractors, were pending for decisions. The suits filed by employees were establishment - related viz promotions, increments, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable. The claim in the suits and arbitration cases by contractors amounted to Rs. Nil. (Previous Year Rs. Nil)

(ii) Capital Commitments:

Estimated amount of contracts to be executed on capital account net of advances and not provided for as at 31 March 2019 is Rs. 278,74,38,645/- (previous year Rs. 264,86,36,372/-).

(iii) Fixed Assets:

a) Additions in the year to Fixed Assets in Schedule 4 include assets purchased out of different funds are as follows:

Funds	Amount Rs:
Capital Assets	(35)7.57,18,109

b) University doesn't have any assets purchased out of funds of sponsored projects as on March 31, 2019.

(iv) Expenditure In Foreign Currency:

Travel	Nil
Foreign Drafts for Import of Chemicals	Nil
Others	Nil


(v) Current Assets, Loans, Advances & Deposits:

In the opinion of management, the Current assets, Loans, Advances and Deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet

(vi) Previous year figures have been regrouped /recast wherever necessary to make them comparable with those of the current year.

(vii) Figures in the Final Accounts have been rounded off to the nearest rupee.

(viii) Schedule I to 24 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31 March, 2019 and Income and Expenditure account for the year ended on that date.


31/03/19

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय



परीक्षित वार्षिक लेखा

2018-19

विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न



‘उपलब्धियां... आत्मविश्वास के साथ’

विश्वविद्यालय का प्रतीक चिह्न तीन वृत्तखंडों की त्रिवेणी से बना है, जिसके बीच में एक ग्लोब है। इसके नीचे भर्तृहरि द्वारा रचित ‘नीतिशतकम्’ से लिया गया एक श्लोक उद्धृत है।

नीचे वाले वृत्तखंड में एक खुली हुई पुस्तक है जो ज्ञान, विद्वत्ता और विवेक की प्राप्ति की ललक का प्रतीक है, एक वीणा अंकित है, जो इस बात का प्रतीक है कि विश्वविद्यालय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दायीं ओर के वृत्तखंड में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं साहस के प्रतीक अंकित हैं जिससे प्रदर्शित होता है कि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक एवं अन्वेषी दृष्टिकोण विकसित करने, सृजन एवं नवोन्मेष की संस्कृति का सूत्रपात करने के लिए कृतसंकल्प है।

बायीं ओर के वृत्तखंड में प्रकृति का चित्रण है जिससे प्रतिपादित होता है कि विश्वविद्यालय जीवन-मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा, सदाचार युक्त जीवन, प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति आदर, एवं सौहार्द की भावना विकसित करेगा।

प्रतीक चिह्न के केंद्र में मानव-श्रृंखला से घिरा हुआ ग्लोब और उसके ऊपर उड़ता हुआ कबूतर अभिव्यक्त करता है कि तीनों वृत्तखंडों की त्रिवेणी द्वारा जो प्रतिबद्धताएँ व्यक्त की गई हैं, उनके द्वारा विश्व में स्वतंत्रता, शांति, समृद्धि और एकता का विकास होगा, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है।

नीचे उद्धृत श्लोक ‘विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्’ का अर्थ है कि ‘शिक्षा’ रूपी धन ही सर्वोत्तम धन है, जिसे न कोई चुरा सकता है, न ही बांट ले सकता है।

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय के बारे में

fo' ofo| ky;

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसका नियंत्रण एवं वित्त-पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के अन्तर्गत जांट-पाली गांवों में स्थित है। महेंद्रगढ़ अब विस्तारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा है और नई दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। यह रेल सेवा के माध्यम से दिल्ली से जुड़ा हुआ है।

fo' ofo| ky; ds d g k; {k

भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविन्द

d g k/ki fr

प्रो. पी.एल. चतुर्वेदी

d gi fr

माननीय प्रो. आर.सी कुहाड़

एफएनएएससी, एफएनएएस, एफबीआरएस

y {;

नवप्रवर्तन, रचनात्मक प्रयासों तथा विद्वतापूर्ण अन्वेषणों को प्रोत्साहित करके सबों को ज्ञानी-समाज का प्रबुद्ध नागरिक बनाना ताकि व्यक्ति, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सके।

/; s

विश्वविद्यालय का ध्येय है भारत का समग्र विकास एवं पूर्ण आत्मनिर्भरता। इसमें विश्वविद्यालय की मुख्य भूमिका होगी, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना, बहु-विषयी शिक्षण, उज्ज्वल-चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत पारदर्शी कार्य-प्रणाली विकसित करना, ज्ञानी-समाज के निर्माण का पथ-प्रशस्त करना। शिक्षण, अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को और अधिक सटीक एवं प्रायोगिक बनाना। सामाजिक अनुसंधान, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, समुदायिक विस्तार अभियान, वैज्ञानिक प्रयास एवं तकनीकी प्रगति।

fo' ofo| ky; d sm' s;

- विद्याओं के प्रसार एवं उन्नति के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना।
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों में समेकित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विशेष प्रावधान करना।
- अध्ययन-अध्यापन, अंतर्विषयी अध्ययन तथा अनुसंधान में नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित व्यवस्था करना।
- देश के विकास के लिए श्रमिकों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए उद्योगों से संबंध स्थापित करना
- लोगों के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, लोक-कल्याण, बौद्धिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु विशेष प्रयास।

x q l o U k d k l a Y i

सर्वोत्कृष्ट शिक्षा, सही दिशा में अनुसंधान और अन्य शैक्षिक पहलुओं को श्रेष्ठ बनाकर निरंतर प्रगति के द्वारा समाज का सर्वांगीण विकास। गम्भीरता, दृढ़ संकल्प, अन्वेषण, सदाचार, ईमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सतत आत्म-मूल्यांकन एवं आत्मसुधार के द्वारा स्वस्थ-समाज की नींव डालना।

कार्यकारी परिषद

31 ekpZ 2019 dsvubqj dk Zkj hi fj "kn dsl nL;

1	अध्यक्ष i ks v kj - l h dgkM कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
2	çks , e- vkua—". ku पूर्व अध्यक्ष, सास्त मंडल, आईआईटी कानपुर एवं साइंस सिटी, चेन्नई साइंस सिटी भवन, प्लैनेटैरियम कैम्पस, गांधी मंडपम रोड, चेन्नई	3	çks ; ksSk fl g कुलपति, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शाहबाद दौलतपुर, बवाना, नई दिल्ली
4	çks ohd s t S कुलपति, तेजपुर विश्वविद्यालय, नपाम, तेजपुर, सोनितपुर, असम (भारत)	5	çks l ðek ; kno कुलपति, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, हरियाणा
6	çks Mhi h, l - oekZ पूर्व आचार्य, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	7	M- ohd s x q k वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रिलायंस कॉर्पोरेट पार्क, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
8	M- i k y eXks प्रधानाचार्य, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अलाइड साइंसेज फॉर वीमेन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	9	M- i h ds [kjuk प्रधानाचार्य, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
10	M- vo/ksk dekj i ks सह-आचार्य (सेवानिवृत्त), डी.ए.वी कॉलेज अंबाला	11	M- l r h k dekj अधिष्ठाता, कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
12	çks l kfj dk 'lekZ अधिष्ठाता, कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	13	çks uoy fd' ks अधिष्ठाता, भौतिक एवं गणितीय विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
14	çks j kt Sk dekj efyd कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता, विधि, शासन, लोकनीति एवं प्रबंधन पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़		
15	सचिव J h j ke nùk कुलसचिव, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़		

शैक्षणिक परिषद

31 ekpZ2019 dsvubkj
'kaf. kd i fj "kn dsl nL;

1	अध्यक्ष i ks v kj - l h d g k M- कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
2	MWV e-i h i fu; k उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली	3	çks v kj - i h V&u प्रोफेसर एमेरिटस, भौतिकी एवं खगोलभौतिकी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
4	çks d s h, l - e gy o kj पीठाचार्य, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, द्वारका, नई दिल्ली	5	lks v kj - d s v u k Fk कुलपति, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुरथल, सोनीपत, हरियाणा
6	çks, l - o h, l - p k j h प्रोफेसर, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली	7	çks M&M fot ; d e k j d k r कुलपति, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, सिरसा, हरियाणा
8	i ks, e- l h x x Z आचार्य, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार	9	çks v k e ç d k k v j k M k एमेरिटस फेलो, रसायनविज्ञान विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
10	MWV e-i h i fu; k पूर्व कुलसचिव, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फरीदाबाद	11	i ks i h l h i V u k d अध्यक्ष, आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
12	i ks v kj - l - ; kno शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	13	çks i h d s [k j k u k प्राचार्य, शहीद भगत सिंह, महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110017
14	M- v o f u t s k v o l F k h सह आचार्य, पी.जी. डीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	15	M- c h j f l g विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़

16	M- l kfj d k' lekZ विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	17	M- l a ho d ekj सह आचार्य, अंग्रेजी और विदेशी भाषा विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
18	çks uoy fd' kks आचार्य एवं अधिष्ठाता, भौतिक एवं गणितीय विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	19	çks j kt sk d ekj efyd आचार्य एवं अधिष्ठाता, विधि, शासन, लोकनीति एवं प्रबंधन पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
20	çks nh d i a आचार्य एवं अधिष्ठाता, रसायन विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	21	çks l rhk d ekj आचार्य एवं अधिष्ठाता, जीवन विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
22	çks uhye l koku आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, जैवरसायन विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	23	MWt ; d ekj çay सह-आचार्य एवं अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
24	MWçeks d ekj सह-आचार्य एवं अधिष्ठाता, शिक्षा पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	25	MWppg d ekj 'lekZ सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
26	M- v kua 'lekZ विभागाध्यक्ष, प्रबंधन अध्ययन विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	27	MWk u xksy सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
28	MWfod k xxZ सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	29	MWj kt sk d ekj xrk सह-आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
30	MWfou; d ekj j k सह-आचार्य, इतिहास एवं पुरातत्त्व विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	31	MWfouks d ekj सह-आचार्य, रसायनविज्ञान विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
32	MWfct æfl g सह-आचार्य, जैवप्रौद्योगिकी एवं आणविक जीवविज्ञान विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	33	MWt ; i ky 'lekZ सहायक आचार्य, प्रबंधन अध्ययन विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
34	M- v a qcsrhky सहायक आचार्य, विधि विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़		
35	सचिव J hj ke nùk कुलसचिव, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़		

वित्त समिति

31 ekpZ2019 dsvubqkj foLk l fefr dsl nL:

1	<p>अध्यक्ष: i ks v kj l h d g k M- कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय</p>		
2	<p>संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अथवा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त ब्यूरो से नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे न हो।</p>	3	<p>संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सीयू एंड एल), अथवा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार से नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो।</p>
4	<p>संयुक्त सचिव (सीयू), यूजीसी, या यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त सचिव स्तर का नामांकित कोई अन्य अधिकारी</p>	5	<p>M A W H k B k d j आईआरएस, वित्त अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी</p>
6	<p>i ks M h i h, l - o e k Z पूर्व आचार्य, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली</p>	7	<p>M- f o d k l x t r k संयुक्त कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली</p>
8	<p>M A W h d s e g k i k e k पूर्व कुलसचिव एल.बी.एस. संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली</p>	9	<p>J h e u l k s a u f = i k B h j f o L k v f / d k j h l f p o हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़</p>

Central University of Haryana
Balance Sheet As at 31 March, 2019

Particulars	Schedule No.	As on 31 March, 2019	As on 31 March, 2018
		Rupees	Rupees
A SOURCES OF FUNDS			
1 Funds			
(a) Corpus Fund/ Capital Fund	1	173,14,11,447	158,92,59,838
(b) Designated/Earmarked/Endowment Funds	2	-	-
(c) Depreciation Reserve Fund			5,05,85,161
		173,14,11,447	163,98,44,999
2 Current liabilities & Provisions			
(a) Trade/Accounts payables	3	6,03,34,219	2,12,49,466
(b) Other current liabilities	3	304,65,83,860	302,28,21,977
(c) Short-term provisions	3	4,17,98,854	4,23,48,836
		314,87,16,932	308,64,20,279
TOTAL		488,01,28,379	472,62,65,279
B APPLICATION OF FUNDS			
1 Fixed assets			
(a) Tangible assets	4	115,19,76,538	118,35,27,159
(b) Intangible assets	4	2,57,81,1	12,42,390
(c) Capital work in progress	4	-	-
		115,22,34,349	118,47,69,548
2 Investments from Earmarked /Endowment Funds			
(a) Long Term	5	-	-
(b) Short Term			
		-	-
3 Investments - Others	6	-	-
4 Current Assets			
(a) Inventories	7	-	-
(b) Trade/Accounts receivables	7	-	-
(c) Cash and cash equivalents	7	93,88,48,537	89,13,78,107
		93,88,48,537	89,13,78,107
5 Loans & Advances			
(d) Short-term loans and advances	8	278,90,45,492	265,01,17,623
(e) Other current assets	7	-	-
		278,90,45,492	265,01,17,623
TOTAL		488,01,28,379	472,62,65,279
See accompanying Notes forming part of the financial statements			
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		

For and on behalf of
Central University of Haryana

Place: Mahendergarh
Date:


 Finance Officer
 Central University of Haryana
 Jant-Pali, Mahendergarh (Hry.)
 Pin-123029


 Registrar
 रजिस्ट्रार
 केंद्रीय विश्वविद्यालय
 जंत - पाली
 जिला - महेंद्रगढ़ - 123029

Central University of Haryana
Income & Expenditure Account for the year ended 31 March, 2019

Particulars		Schedule No.	As on 31 March, 2019	As on 31 March, 2018
			Rupees	Rupees
INCOME				
1	Academic Receipts	9	5,66,45,638	3,60,60,599
2	Grants & Donations	10	32,70,01,876	28,58,43,214
	Grants : Rs.338,97 1,264/-			
	Donations : Rs.0/-			
3	Income from investments	11	5,32,75,582	3,81,21,113
4	Interest Earned	12	50,76,576	37,14,697
5	Other Incomes	13	91,03,850	97,84,781
6	Prior Period Income	14	-	-
A	Total Income (1+2+3+4+5+6)		45,11,03,522	37,35,24,404
EXPENDITURE				
7	Staff Payments & Benefits	15	20,41,97,629	18,83,37,319
8	Academic Expenses	16	2,05,11,964	3,25,43,126
9	Administrative and General Expenses	17	9,56,95,998	5,76,54,806
10	Transportation Expenses	18	17,85,825	14,07,113
11	Repairs & Maintenance	19	47,76,978	58,11,400
12	Depreciation	4	33,481	89,450
13	Finance Costs	20	-	-
14	Other Expenses	21	-	-
15	Prior Period Expenses	22	-	-
B	Total expenses (7+8+9+10+11+12+13+14+15)		32,70,01,876	28,58,43,214
	Balance being excess of Income over Expenditure {A-B}		12,41,01,646	8,76,81,190
C	Transfer to/from Designated fund		-	-
	Building Fund		5,73,00,165	5,05,85,161
	Others		5,73,00,165	5,05,85,161
D	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund {C-D}		6,68,01,481	3,70,96,029
See accompanying notes forming part of the financial statements				
	Significant Accounting Policies	23		
	Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		

For and on behalf of
Central University of Haryana

[Signature]
Finance Officer, 11/1/19

[Signature]
Registrar

Place: Mahendergarh
Date:

Central University of Haryana
Jant-Pati, Mahendergarh (Hry.)
Pin-123029

रजिस्ट्रार
बिद्यालया केंद्रीय विश्वविद्यालय
जंत - जंत पति
बिद्या - महेंदरगढ़ - 123029



Speed Post
 भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
 कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
 Indian Audit & Accounts Department
 Office of The Principal Director of Audit (Central),
 Chandigarh



सं./No. पी.डी.ए. (सी)/के. व्यय/SAR CUHM/2018-19/2020-21/ 05

दि./Dated: 26.05.2020

सेवा में,

प्रति सं. 12238
 दिनांक: 2/6/2020
 लिखा विभाग (केन्द्रीय)

सचिव,
 उच्चतर शिक्षा विभाग,
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
 शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001

विषय: Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृपया Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलग्न पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें।

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

भवदीय,
 - 6270 -
 प्रधान निदेशक

✓ उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2017-18 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलपति, Central University of Haryana, Jant-Pali, Mahendergarh Haryana Pin: 123031 को प्रेषित की जाती है।

उप-निदेशक

gfj ; kkk d a fo' ofo| ky ;] egax <+dsfnukl 31 ekpZ2019 dksl ekr o"KZdsfy , y\$kkv/kai j Hkkj r dsfu; ad , oaegky \$kij kld dhi Fkd y\$kkij kfkji kZ

1. हम लोगों ने हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ की दिनांक 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, इसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 31(1) के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखा की हम लोगों ने लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रबंधन पर होता है। हमारा उत्तरदायित्व इन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारा एक अभिमत अभिव्यक्त करना है।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (सीएजी) की लेखांकन उपचार पर, सिर्फ वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन कार्याभ्यासों के साथ समरूपता, लेखांकन मानकों एवं मानकीकरण मापदण्डों आदि के बारे में, अभ्युक्तियां अंतर्निहित हैं। वित्तीय लेन-देन पर विधियों, नियमावली एवं विनियमावली (सम्पत्ति एवं नियमितता) तथा दक्षता-सह-कार्यनिष्पादन पहलुओं आदि पर अनुपालन के सम्बंध में लेखा परीक्षा आपत्तियां, यदि कोई हो, सीएजी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट/निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की गई है।
3. हम लोगों ने लेखा परीक्षा का संचालन भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए यह वांछित है कि हम लोग लेखा परीक्षा की तैयारी और निष्पादन इस बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि क्या वित्तीय विवरणें मौद्रिक रूप से अयथार्थ विवरणों से मुक्त हैं। किसी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियां एवं प्रकटीकरण को समर्थित करने वाले साक्ष्यों का एक जांच आधारित परीक्षण किया जाना सम्मिलित है। किसी लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन का मूल्यांकन, साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी सम्मिलित होता है। हम मानते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध करती है।
4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे।
 - ii) तुलन पत्र एवं आय व्यय लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में काम किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश सं. 29-4/2012 एफडी दिनांक 17 अप्रैल 2015 के माध्यम से विहित प्रपत्र पर तैयार किए गए हैं।
 - iii) हमारी राय में लेखाओं की उचित पुस्तीकाएं एवं अन्य सम्बंधित अभिलेखों का हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ द्वारा जैसा कि ऐसी पुस्तिकाओं के निरीक्षण से ज्ञात होता है, अनुरक्षण किया गया है।
 - iv) हमलोग रिपोर्ट करते हैं कि:

, - rgu&i =

, -1 fuf/k ksd kJ ks

, -1-1 pky vrsnkfj ; ka oacko/kku %uq pth&3/2

v uqHk v uqku 298-25 dj kA

विश्वविद्यालय ने वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान लेखाओं में यूजीसी के प्रति सहायतार्थ अनुदानों में अर्जित ₹ 4.72 करोड़ का ब्याज की वापसी हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कोर्पस निधि/पूजी निधि की अत्युक्ति तथा कोर्पस निधि में ₹ 4.72 करोड़ की अत्युक्ति के अतिरिक्त अनुपभूक्त अनुदानों में ₹ 4.72 करोड़ प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है।

, -1-2 pky vrsnkfj ; ka oacko/kku %uq pth&3/2

, -1-21 vuqHkäv vuqku% 298-25 dj kA

विहित प्रपत्र के अनुसार (पृष्ठ 87 एवं 88), राजस्व अनुदान की लेखा पर आय की परिगणना हेतु, आय एवं व्यय अनुसूचियों (गैर-योजना स्तम्भ) के अनुसार व्यय एवं सेवा निवृत्ति हितलाभों के लिए किए गए वास्तविक भुगतानों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था, परंतु सेवा निवृत्ति हितलाभों के लिए किए गए प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए था। इस अवधि के दौरान किए गए ₹ 27.91 लाख के वास्तविक भुगतानों के स्थान पर, संग्रहित छुट्टी नकदीकरण एवं ग्रेच्युटी हेतु ₹ 2.96 करोड़ के प्रावधान को वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के दौरान राजस्व अनुदानों के लेखा में आय के रूप में बूक किया गया, जो कि निर्धारित प्रपत्र का उल्लंघन करता है। इसके परिणामस्वरूप अनुपभूक्त अनुदानों की न्यूनोक्ति तथा कार्पस निधि / पूंजी निधि में ₹ 2.68 करोड़ प्रत्येक की अत्युक्ति चालू वर्ष में 69.50 लाख की अनुदान आर्थिक-सहायता की लेखा में आय की अत्युक्ति के अतिरिक्त हुई है।

, -1-22 cko/kku% 4-15 dj kA

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा इनके दिनांक 12 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं. 19-1 / 2017- आईएफडी के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि एम. एच. आर .डी. के अंतर्गत एनपीए के अधीन व्याप्त स्वशासित निकायों / संगठनों के कर्मचारियों के प्रति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी में विस्तार का मामला एमएचआरडी में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से विचाराधीन है, अतः सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ इस मामले में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के साथ अंतिम निर्णय लिए जाने तक वापस लिया जाना चाहिए।

रुपए 1.38 करोड़ की ग्रेच्युटी का ऊपर सम्मिलित प्रावधान (वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ₹ 41.77 लाख सहित)। एमएचआरडी के उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ग्रेच्युटी हेतु प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि चालू देनदारियां एवं प्रावधान की अत्युक्ति तथा कर्मचारी भुगतानों एवं हितलाभों की लेखा में चालू वर्ष के 41.77 लाख के व्यय में अत्युक्ति के अतिरिक्त पूंजी निधि में ₹ 1.38 करोड़ प्रत्येक की न्यूनोक्ति की गई।

, -2 fuf/k kdkvuq; k

, -21 fu; r i fj l i fUk k% uq p% 41% 115-22 dj kA

, -21-1 विश्वविद्यालय ने वर्ष-वार संयोजनों का विस्तृत विवरण तैयार नहीं किया है तथा वार्षिक तौर पर अवमूल्यन का परिसम्पत्तियों के जीवन-काल की गणना के आधार पर परिकलन नहीं किया है। इसके स्थान पर विश्वविद्यालय ने सकल ढांचा के कुल मूल्य पर अवमूल्यन को मात्र प्रभारित भर कर देता है। इसके परिणामस्वरूप कुछ परिसम्पत्तियों पर उनके जीवन-काल की समाप्ति के बावजूद भी अवमूल्यन का अतिप्रभारन किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप कम्प्यूटर एवं पेरिफेरल्स, साथ ही कार्पस निधि / पूंजी निधि में ₹ 0.50 करोड़ प्रत्येक (₹ 3.26 करोड़-2.76 करोड़) की न्यूनोक्ति, चालू वर्ष में 0.16 करोड़ (₹ 1.83 करोड़-1.67 करोड़) के अवमूल्यन की अत्युक्ति के अतिरिक्त हुई है।

, -21-2 वर्ष 2018-19 के दौरान खरीद की गई ₹ 3.84 करोड़ मूल्य के वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक उपकरणों को गलत ढंग से शिक्षण-उपांग शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वैज्ञानिक एवं प्रायोगिक उपकरणों का अवमूल्यन 7.5% की दर से प्रभारित किया गया, जबकि लागू दर 5% थी। इसके परिणामस्वरूप इतनी ही राशि की अवमूल्यन में न्यूनोक्ति के अतिरिक्त 1.92 लाख रुपए की अत्युक्ति नियत परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में हुई है।

, -21-3 संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरणों में अवमूल्यन 7.5% की दर से प्रभारित किया गया, जबकि लागू दर 5% की थी। इसके परिणामस्वरूप नियत परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में ₹ 5.21 लाख की न्यूनोक्ति, इसी राशि का अवमूल्यन में अत्युक्ति के अतिरिक्त हुई है।

, -21-4 खेल-कूद उपकरणों पर अवमूल्यन 7.5% की दर से प्रभारित किया गया जबकि लागू दर 5% की थी।

इसके परिणामस्वरूप नियत परिसम्पत्तियों (अनुसूची-4) में 0.96 लाख की न्यूनोक्ति, अवमूल्यन में इसी राशि की अत्युक्ति के अतिरिक्त हुई है।

- , -21-5 विश्वविद्यालय ने परिसम्पत्तियों को वांछित प्रयोज्य प्रपत्र के अनुसार विद्युतीय प्रस्थापन एवं उपकरण शीर्ष में दिखलाया है (अवमूल्यन 5% की दर से प्रभारित होने योग्य), जबकि इन्हें नियत परिसम्पत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत दिखलाया जाना चाहिए था। इसे विहित प्रपत्र में यथा उल्लेखित उचित शीर्षों के अंतर्गत श्रेणीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
क्रम सं. ए.2.1.2 से ए.2.1.5 तक वर्णित आपत्तियों को पूर्ववर्ती वर्ष के एसएआर में सम्मिलित किया गया था, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा इस पर कोई अनुपालन नहीं किया गया।
- , -22 ~~pkv vifj | Ei fUk ka% uq pth&7½~~
~~j kd Mr Fk kcp r cbi y \$kkv kæscbi ' k% 7-90dj kA~~
- , -22-1 बैंक ने वेतन शीर्ष के आटो स्वीप लेखा से ₹ 4.00 लाख की एक राशि का अंतरण बचत लेखा सं. 78240001106945 में किया है, जो कि इसी शीर्ष के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक लेखा द्वारा अनुरक्षित है। विश्वविद्यालय ने गलत ढंग से "आटो स्वीप लेखा-6945" को क्रेडिट करने के स्थान पर "आटो स्वीप लेखा-6945 पर ब्याज" शीर्ष को क्रेडिट किया है। इसके परिणामस्वरूप आय/अधिशेष तथा कार्पस में ₹ 41.00 लाख प्रत्येक की अत्युक्ति हुई है।
- , -22-2 विश्वविद्यालय लेखाओं की पुस्तकों के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक लेखा सं. 78240001100392 में लेखा शेष ₹ 10.59 करोड़ (₹ 0.26 करोड़ बचत बैंक शीर्ष ₹ 10.33 करोड़ आटो फ्लेक्सी शेष) था। बैंक ने दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 10.66 करोड़ के शेष को प्रमाणित किया है। विश्वविद्यालय ने ₹ 0.07 करोड़ की भिन्नता के लिए सामंजस्य का निर्माण नहीं किया है।
- , -22-3 विश्वविद्यालय के लेखाओं की पुस्तकों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक लेखा सं. 78240001100426-एसएसएस में ₹ 0.96 लाख का एक क्रेडिट शेष था। बैंक ने ₹ 2.73 लाख के शेष का प्रमाण-पत्र दिया है। विश्वविद्यालय ने ₹ 1.77 लाख की भिन्नता हेतु सामंजस्य का निर्माण नहीं किया है।
- , -22-4 विश्वविद्यालय के लेखाओं की पुस्तकों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक लेखा सं. 78240001100426-एसएसएस एवं लेखा सं. 78240001106927 में क्रमशः ₹ 0.96 लाख एवं ₹ 14.63 लाख का क्रेडिट शेष था। इन लेखाओं में क्रेडिट शेष से परिलक्षित होता है कि इन बैंक लेखाओं से उपलब्ध शेष की अपेक्षा अधिक भुगतान किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने इन भिन्नताओं के लिए लेखा परीक्षा के प्रति सामंजस्य उपलब्ध नहीं करवाया है।
- , -23 ~~_ . kj v fixæ , oat ek %uq pth&8½~~
~~v fixæa oaj kd Mr kolr çæol yh; k% ; kçkr gkis k% e%v gsqvU j kf k k% v h d k Zgs 278-75dj kA~~
- , -23-1 उपरोक्त में ₹ 4.70 करोड़ की राशि का फर्निचर कार्य सम्मिलित हैं, जिन्हें ₹ 2.89 करोड़ के अग्रिम के विरुद्ध निष्पादित किया गया था। यद्यपि ये कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं, परंतु इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा में ₹ 2.89 करोड़ की अत्युक्ति, परिसम्पत्तियों में ₹ 4.47 करोड़ (शुद्ध) की न्यूनोक्ति, अवमूल्यन में ₹ 0.23 करोड़ (₹ 4.70 करोड़ पर 5% प्रति वर्ष की दर से) की न्यूनोक्ति तथा चालू देनदारियों में ₹ 1.81 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।
- , -23-2 उपरोक्त में विभिन्न भवन निर्माण कार्य पर सीपीडबल्यूडी द्वारा खर्च किए गए ₹ 60.66 करोड़ का ब्यय सम्मिलित है, जिसे प्रगति पर पूंजी कार्य के अंतर्गत बुक किया जाना था। इसके परिणामस्वरूप ऋण एवं अग्रिमों में अतियुक्ति तथा प्रगति पर पूंजी कार्य में ₹ 60.60 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है।
- , -23-3 अग्रिम में से ₹ 37.25 करोड़ की राशि, ₹ 25.52 करोड़ की राशि के विद्युतीय प्रस्थापन के दो कार्य को अप्रैल 2017 तक पूरा कर लिया गया था, परन्तु इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा में ₹ 25.52 करोड़ की अत्युक्ति तथा नियत परिसम्पत्तियों (विद्युतीय प्रस्थापन एवं

उपकरण) में ₹ 22.97 करोड़ की न्यूनोक्ति तथा कार्पस निधि/पूंजी निधि में ₹ 2.55 करोड़ (₹ 25.55 करोड़ पर दो वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन) की अत्यूक्ति, चालू वर्ष के अधिशेष में ₹ 1.28 करोड़ की अत्यूक्ति के अतिरिक्त की गई है।

सी. पी. डबल्यू. डी. को निर्गत ₹ 11.73 करोड़ की शेष अग्रिम राशि (₹ 37.25 करोड़— ₹ 25.55 करोड़) हेतु वास्तविक एवं वित्तीय अवस्थिति उपलब्ध नहीं थी।

- , -234 उपरोक्त में विश्वविद्यालय में वाई—फाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सेवा प्रभारी के प्रति भुगतान की गई ₹ 3.22 करोड़ की राशि (सितम्बर 2016) सम्मिलित है। ₹ 10.96 करोड़ की लागत का यह कार्य जून 2017 में पूरा कर लिया गया था, साथ ही पूर्णता पश्चात विश्वविद्यालय के उपयोगाधीन था। तथापि, इसे पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा में ₹ 0.96 करोड़ की अत्यूक्ति, मूर्त परिसम्पत्तियों में ₹ 0.58 करोड़ (दो वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से अवमूल्यन प्रभारित करने के बाद शुद्ध) की न्यूनोक्ति तथा कार्पस निधि/पूंजी निधि में ₹ 0.38 करोड़ की अत्यूक्ति हुई है। आगे, इन परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन प्रभारित नहीं किए जाने के कारण चालू वर्ष के अधिशेष में ₹ 0.19 करोड़ की अत्यूक्ति हुई है।

इस विंदु को पूर्ववर्ती वर्ष की आपत्तियां, क्रम सं. ए.2.2. पर सम्मिलित किया गया था, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा इस पर कोई अनुपालन नहीं किया गया।

- , -235 उपरोक्त में एनबीसीसी के प्रति भवनों के निर्माण एवं अन्य विकास कार्य के लिए अग्रिम भुगतान के तौर पर दिखलाई गई ₹ 166.71 करोड़ की राशि सम्मिलित है? भवन निर्माण कार्य जुलाई 2017 तक पूरा कर लिया गया था तथा निर्माण पश्चात भवन उपयोग में लाया जा रहा था, परंतु इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ऋण एवं अग्रिमों में ₹ 166.7 करोड़ की अत्यूक्ति, मूर्त परिसम्पत्तियों में ₹ 160.04 करोड़ (शुद्ध) की न्यूनोक्ति तथा कार्पस निधि/पूंजी निधि में 6.67 करोड़ (दो वर्षों के लिए 2% की दर से अवमूल्यन) की अत्यूक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के अधिशेष में भी वर्तमान वर्ष के अवमूल्यन के बराबर की राशि ₹ 3.33 करोड़ की अत्यूक्ति की गई।

इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी ने इस कार्य के एवज में आगे ₹ 15.53 करोड़ की मांग की है, जिस पर विश्वविद्यालय ने विरोध दर्ज किया है। ₹ 15.53 करोड़ की विवादित राशि को फूटकर देनदारियों में प्रकट नहीं किया गया है।

- , -236 उपरोक्त में डीएचबीवीएनएल को विद्युत सन्योजन उपलब्ध करवाने एवं लाइनों के स्थानांतरण हेतु भुगतान किए गए अग्रिम राशि ₹ 1.88 करोड़ सम्मिलित है। कार्य पूरा किया गया था तथा डी. एच. बी. वी. एन. एल. ने ₹ 1.88 करोड़ के लिए उपयोगिता प्रमाण—पत्र (जून 2017) प्रस्तुत किया था, तथापि इस व्यय को लेखाओं में पूंजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऋण, अग्रिम एवं जमा में ₹ 1.88 करोड़ की अत्यूक्ति, मूर्त परिसम्पत्तियों में ₹ 1.69 करोड़ (5% प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए अवमूल्यन प्रभारित करने के पश्चात शुद्ध) की न्यूनोक्ति तथा कार्पस निधि/पूंजी निधि में ₹ 0.19 करोड़ की अत्यूक्ति की गई थी। आगे इन परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन प्रभारित नहीं किए जाने के कारण चालू वर्ष के अधिशेष में ₹ 0.09 करोड़ की अत्यूक्ति हुई।

- , -237 कैनाल जल सेवाएं प्रभाग, महेंद्रगढ़ द्वारा पम्प हाउस एमसी—(V) महेंद्रगढ़ कैनाल से केंद्रीय विश्वविद्यालय तक ₹ 6.95 करोड़ की राशि का पाइप बिछाने के कार्य हेतु अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया (सितम्बर 2017), जिसमें ₹ 0.47 करोड़ विद्युत संयोजन हेतु सम्मिलित था। विश्वविद्यालय ने ₹ 6.46 करोड़ की एक राशि (विद्युत संयोजन हेतु ₹ 0.47 करोड़ की राशि सहित) अभिकरण के साथ जमा करवाया। चूंकि कार्य पूरा कर लिया गया था तथा सिर्फ जांच प्रक्रिया बाकी थी। ₹ 5.97 करोड़ की राशि (₹ 6.46 करोड़— ₹ 0.47 करोड़ की राशि का विद्युत संयोजन) का व्यय पहले ही किया जा चुका था, इसे 'कार्य प्रगति पर' में अंतरित किया जाना चाहिए था।

आगे, ₹ 0.49 करोड़ की बकाया राशि (₹ 6.48 करोड़— ₹ 5.99 करोड़) लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया है, इसके परिणामस्वरूप कार्पस निधि/पूंजी निधि में अत्यूक्ति तथा चालू देनदारियों में ₹ 0.49 करोड़

प्रत्येक की न्यूनोक्ति हुई है।

उपरोक्त मामलों के सम्बंध में आपत्तियां पूर्ववर्ती एसएआर में भी सम्मिलित की गई थी, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

ch

I lekU

ch1

ok'kZ y \$k v k i j y \$k i j h k v H v i ; k d k o k r f o d c H k o

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ की दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों का वास्तविक प्रभाव निम्नलिखित हैं:

- परिसम्पत्तियों में ₹ 8.08 करोड़ की अत्युक्ति
- देनदारियों में ₹ 8.32 करोड़ की न्यूनोक्ति
- अधिशेष में ₹ 10.04 करोड़ की अत्युक्ति के अतिरिक्त कार्पस निधि/पूंजी निधि में ₹ 16.40 करोड़ की अत्युक्ति

ch2

अनुसूची-3 सी एवं अनुसूची 10 को भूलवश ₹ 2.18 करोड़ की राशि की विभिन्न प्रायोजित परियोजना के शेष के साथ सम्मिलित किया गया है। इसकी सही राशि ₹ 2.75 करोड़ (अनुसूची 3 के अनुसार) है, जिसे प्रायोजित परियोजनाओं से सम्बंधित अनुसूची 3ए के अंतर्गत दिखलाया गया है।

ch3

विहित प्रपत्र के अनुसार प्राप्तियों एवं भुगतानों की लेखाओं का निर्माण किया जाना है। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्तियों एवं भुगतानों की लेखा का निर्माण नहीं किया गया।

ch4

विश्वविद्यालय द्वारा जीपीएफ एवं एनपीएस लेखाओं के सम्बंध में विहित प्रपत्र के अनुसार तुलन-पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतानों की लेखा का निर्माण नहीं किया गया।

ch5

निम्नलिखित के सम्बंध में अनिवार्य प्रकटीकरण टिप्पणियों के माध्यम से, विहित प्रपत्र की वांछनीयता के अनुसार प्रकटीकृत नहीं किया गया है:

- शैक्षिक संस्थानों के उद्देश्यों पर खर्च किया गया व्यय
- स्वयं सेवकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विवरण, जिनके लिए कोई भुगतान नहीं किया गया;
- आपवादिक एवं अतिविशिष्ट मदों का विवरण
- छात्रों एवं शिक्षकों की संख्या
- भवन निधि, खेल-कूद गतिविधियां, विकास प्रभार एवं चिकित्सा व्यय, सह-पाठचर्या गतिविधियां तथा प्रत्येक ऐसे शीर्ष के संग्रहण के विरुद्ध व्यय की लेखाओं में संग्रहण
- ईपीएफ एवं ईएसआई सदृश सांविधिक देयता का अनुपालन
- शिक्षकों की वेतन संरचना, विहित प्रपत्र की वांछनीयता के अनुसार टिप्पणियों के माध्यम से प्रकटीकृत नहीं किया गया है।

इस आपत्ति को पूर्ववर्ती वर्ष के एक पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी संलग्न किया गया था, परंतु विश्वविद्यालय द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है।

I h

I gk r k k Z v u q k u

I h1

₹ 71.50 करोड़ की उपलब्ध निधियों (ओएच-31: 13.96 करोड़, ओएच-36: ₹ 15.01 करोड़ एवं ओएच-35: ₹ 42.53 करोड़) साथ ही ₹ 29.64 करोड़ का पूर्ववर्ती वर्ष का अव्ययित शेष (ओएच-31: ₹ 2.11 करोड़, ओएच-36: शून्य एवं ओएच-35: ₹ 27.53 करोड़) सहित में से वर्ष के दौरान प्राप्त सहायतार्थ अनुदान ₹ 41.86 करोड़ (ओएच-31: ₹ 11.85 करोड़, ओएच-36: ₹ 15.01 करोड़ एवं ओएच-35: ₹ 15.00 करोड़); विश्वविद्यालय द्वारा ₹ 47.54 करोड़ का उपभोग किया गया था (ओएच-31: ₹ 11.74 करोड़, ओएच-36: ₹ 15.01 करोड़, ओएच-35: ₹ 20.79 करोड़) तथा ₹ 23.96 करोड़ का अव्ययित शेष (ओएच-31: ₹ 2.22 करोड़, ओएच-36: शून्य एवं ओएच-35: ₹ 21.74 करोड़) वर्ष के अंत तक बचा रहा। विश्वविद्यालय के पास दिनांक 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार ₹ 278.74 करोड़ की पूंजी अग्रिमें

थी। इस प्रकार विश्वविद्यालय के पास वर्ष के अंत तक ₹ 302.70 करोड़ का अव्ययित शेष (ओएच-31: ₹ 2.22 करोड़, ओएच-36: शून्य एवं ओएच-35: ₹ 300.48 करोड़) पूंजी अग्रिमों सहित उपस्थित था।

- I h2 भारत सरकार, एचआरडी मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 25.10.2018 के पत्र एफ सं. 23011/02/2018-आईएफ.1 के माध्यम से यह सलाह दी गई थी कि लेखाओं की पुस्तिकाओं में आईआरजी से खर्च की गई निधि के अनुरूप ऋणात्मक शेष न दिखलाया जाए, इसके स्थान पर आईआरजी/कार्पस निधि से खर्च किए गए व्यय के अनुरूप इन्हें ही डेबिट किया जाए। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य अनुदान के ऑब्जेक्ट शीर्ष 36 के अंतर्गत ₹ 4.61 करोड़ की राशि का व्यय उपलब्ध निधियों की अधिकता में किया गया, जिसे आंतरिक राजस्व सृजन से पूरा किया जाना चाहिए था।
- I h3 यद्यपि, विश्वविद्यालय ने ₹ 0.35 करोड़ के अनुदान (₹ 55.55 करोड़- ₹ 55.20 करोड़) की प्राप्ति रसीद तथा ₹ 0.07 करोड़ की प्रायोजित परियोजना की प्राप्ति (₹ 1.68 करोड़- ₹ 1.61 करोड़) वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूची 3 सी में सम्मिलित नहीं किया गया।
- I h4 दिनांक 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार अनुपभूक्त अनुदान (पूंजी अग्रिमों को छोड़कर) का परिकलन ₹ 23.96 करोड़ के रूप में किया गया है, जैसा कि टिप्पणी सं. सी1 में वर्णित है, जबकि लेखा में इसे ₹ 19.50 करोड़ के तौर पर दर्शाया गया है। ₹ 4.46 करोड़ की भिन्नता का सामंजस्य किया जाना वांछनीय है।

Mh ळकू i =

जिन विसंगतियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया, उन्हें उपचारी/सुधारात्मक कार्रवाई हेतु अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन की नजर में लाई गई।

- iv) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी आपत्तियों की शर्त पर, हम लोग रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में कार्य किया गया, लेखाओं की पुस्तिकाओं के समनुरूप हैं।
- v) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखांकन नीतियों एवं लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पठित कथित वित्तीय विवरण, तथा ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों एवं इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न अनुलग्नक में उल्लेखित मामलों की शर्त पर भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समनुरूप एक सत्य एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करते हैं :
- क. जहां तक कि यह तुलन पत्र, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ की दिनांक 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार कार्य-व्यापार की अवस्थिति से सम्बंधित है।
- ख. जहां तक कि यह उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु अधिशेष की आय एवं व्यय लेखाओं से सम्बंधित है।

—r s, oal h, oa, t h dsi {k ea
glr k

ळकु y \$kk i j hkk funskd ¼ ad ¼ p m k <+

LFku% p m k <+
r k j h k %

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रति अनुलग्नक

- 1- v k a f j d y \$ k i j h k c . k y h d h i ; k r r k
v k a f j d y \$ k i j h k c . k y h e a d f e ; k i k b z b z k j D k d %
क) विश्वविद्यालय ने अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा संहिता का निर्माण नहीं किया था।
ख) पूर्व-लेखा परीक्षा प्रणाली अस्तित्व में थी। आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा की गई थी, परंतु वह पूर्व लेखा परीक्षा के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।
- 2- v k a f j d f u ; a . k c . k y h d h i ; k r r k
v k a f j d f u ; a . k c . k y h f u e u f y f [k - f " V I s v i ; k r F k %
क. पर्याप्त सूचना प्रणाली की स्थापना हेतु उचित फ्रेमवर्क का विश्वविद्यालय द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।
ख. लेखांकन संहिता का निर्माण नहीं किया गया है।
ग. ऋण एवं अग्रिमों की सम्बंधित पक्षों से पुष्टि नहीं की गई है।
घ. टैली सृजित वाउचरों की प्रिंट प्रतियां नहीं ली गईं तथा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया गया।
ङ. भंडार विभाग द्वारा अनुरक्षित भंडार रजिस्ट्रों में, प्रविष्ट परिसम्पत्तियों के मूल्यों का कुलयोग (31.03.2019 तक) का परिकलन नहीं किया गया तथा उनमें प्रविष्ट परिसम्पत्तियों को विहित प्रपत्र में उल्लेखित श्रेणियों के अनुसार समुहित नहीं किया गया। इस प्रकार, नियत परिसम्पत्तियों का सकल योग वार्षिक लेखाओं में यथा उल्लेखित, का अनुरक्षित भंडार रजिस्ट्रों से सत्यापन नहीं किया जा सका।
च. नियत परिसम्पत्तियों की अनुसूची में प्रदर्शित ₹ 7.39 लाख का भूल-वर्गीकरण नियत परिसम्पत्तियों तथा टैली द्वारा अनुरक्षित लेजरो में नहीं पाया गया। भूल-वर्गीकरण लेखाओं की पुस्तिकाओं के अनुरक्षण में खराब नियंत्रण दर्शाता है।
छ. मद-वार, उपभोग-योग्य भंडारों का उच्चतम एवं निम्नतम स्तरों को निर्धारित एवं अनुरक्षित नहीं किया गया।
ज. अनुदानों का लेजर (ओएच-31, ओएच-35 एवं ओएच-36) का उचित रूप से अनुरक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि अनुदान लेजरो में सिर्फ वर्ष के दौरान प्राप्तियों को ही प्रदर्शित किया गया है। अनुदानों के अन्य लेन-देन, आदि शेष, वर्ष के दौरान किया गया व्यय अनुदान लेजरो में अंत शेष तक की स्थिति तक पहुंचने के पूर्व समावेशित नहीं किए गए हैं।
3. पुस्तकालय पुस्तकों को छोड़कर अन्य नियत परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन नियत परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2013-14 से अबतक सिर्फ उन स्थितियों को छोड़कर संचालित नहीं किया गया, जब वर्ष 2014-15 के दौरान खरीद की गई नियत परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन 2015-16 में संचालित किया गया।
4. पुस्तकालय पुस्तकों का वास्तविक सत्यापन पुस्तकालय में दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार कुल 322133 पुस्तकें थीं। पुस्तकालय का पिछला वास्तविक सत्यापन अक्टूबर 2016 में संचालित किया गया था। जीएफआर के अनुसार अगला सत्यापन अक्टूबर 2019 तक किया जाना है। विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि अगला वास्तविक सत्यापन जून-जुलाई 2020 में संचालित किया जाएगा।
5. सामान-सूची का वास्तविक सत्यापन भंडार से सम्बंधित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची 23) के क्रम सं. (V) के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि भंडार पर व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है। सिर्फ उन मामलों को छोड़कर कि 31 मार्च की स्थिति पर आधारित अंत भंडार के मूल्य को सामान-सूची के अनुसार स्थापित किया जाता है, जिसमें विभागों से संग्रहित सूचनाओं के आधार पर तदनु रूप राजस्व व्यय में कमी किया जाता है।
ऐसा देखा जाता है कि ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में यथा उल्लेखित दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति पर अंत भंडार की गणना हेतु ऐसे किसी वास्तविक सत्यापन का संचालन नहीं किया गया।
6. साम्बिधिक देयता के भुगतान में नियमितता
लेखाओं की पुस्तिकाओं के अनुसार विश्वविद्यालय सम्बंधित देयता के भुगतानों में नियमित था।

g L r k
m i f u n s k d

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के प्रति टिप्पणियां

v ubq p h 23 %eg l bi w k Z y \$ k k a l u u l f i r ; l a

(i) r S k j h d k v k / k j

इन वित्तीय विवरणों का निर्माण एवं प्रस्तुतीकरण ऐतिहासिक लागत समझौता के अधीन एवं साधारणतया लेखांकन के संभूति आधार पर किया गया है।

(ii) j k t L o e k j r k

(क) छात्रों से शुल्क (शिक्षण शुल्क को छोड़कर) नामांकन पत्रों की बिक्री, बचत बैंक लेखा पर रायल्टी एवं व्याज का लेखांकन नकदी के आधार पर किया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर हेतु पृथक रूप से संग्रहित शिक्षण शुल्क का लेखांकन संभूति आधार पर किया गया है।

(ख) भूमि, भवनों एवं अन्य सम्पत्तियों से अर्जित आय तथा विनिवेश पर व्याज को संभूति के आधार पर लेखांकित किया गया है।

(ग) कार्मिकों को भवन निर्माण, वाहनों एवं कम्प्यूटरों की खरीद के प्रति व्याज अर्जन योग्य अग्रिमों पर व्याज को प्रत्येक वर्ष के संभूति आधार पर लेखांकित किया गया है, हालांकि व्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्णरूपेण पूर्व-भुगतान के पश्चात आरम्भ होती है।

(iii) f u ; r i f j | E i f u k k a o a v o e w y u

(क) नियत परिसम्पत्तियों का विवरण अधिग्रहण की लागत पर, आवक किराया, शुल्क एवं कर तथा अधिग्रहण से सम्बंधित आकस्मिक एवं प्रत्यक्ष खर्च सहित, अवस्थापन एवं कमीशनिंग के साथ दत्ता जाता है।

(ख) दान / प्रतिदान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य, घोषित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जहां कहीं उपलब्ध हों। यदि उपलब्ध नहीं हो, तो मूल्यों का आकलन वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर परिसम्पत्ति के वास्तविक स्वरूप एवं स्थिति के संदर्भ में समायोजित करते हुए किया जाता है। इन्हें पूंजी निधि के प्रति क्रेडिट द्वारा स्थापित तथा संस्थान की नियत परिसम्पत्तियों के साथ अंतर्विलय किया जाता है। अवमूल्यन सम्बंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों के आधार पर प्रभारित किया जाता है।

(ग) दान स्वरूप प्राप्त पुस्तकों का मूल्य इन पर अंकित बिक्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है। जहां यह प्रिंटेड नहीं है, मूल्य अन्य आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(घ) नियत परिसम्पत्तियों का मूल्य अधिग्रहण की लागत पर निर्धारित किया जाता है। अवमूल्यन की गणना नीचे उल्लेखित दरों पर करके "अवमूल्यन रिजर्व निधि (डीआरएफ)" के प्रति अंतरित किया जाता है। डीआरएफ के प्रति संविभाजित राशि व्ययोपरी आय के अधिशेष से होनी चाहिए। परिकलित अवमूल्यन की कटौती परिसम्पत्तियों के मूल्य से नहीं की जाएगी, क्योंकि इसके लिए निधि की उपलब्धता निधि-प्रदाय अभिकरणों द्वारा नहीं सुनिश्चित की जाती है। नियत परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन की गणना निम्नलिखित दरों पर सरल रैखिक विधि द्वारा की जाती हैरू

i f j | E i f u k k a d h j s k h

मूर्त परिसम्पत्तियां

● भूमि	0.00%
● स्थल विकास	0.00%
● भवन	2.00%
● सड़कें एवं पूल	2.00%
● ट्यूबवेल एवं जलापूर्ति	2.00%
● सिवरेज एवं ड्रेनेज	2.00%
● विद्युतीय अवस्थापन एवं उपकरण	5.00%

v o e w y u n j

● संयंत्र एवं मशीनरी	5.00%
● वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला उपकरण	8.00%
● कार्यालय उपकरण	7.50%
● ऑडियो एवं विजुअल उपकरण	7.50%
● कम्प्यूटर्स एवं पेरिफेरल्स	20.00%
● फर्नीचर, फिक्सचर एवं फिटिंग्स	7.50%
● वाहन	10.00%
● पुस्तकालयरू पुस्तकें एवं वैज्ञानिक जर्नल्स	10.00%

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के प्रति टिप्पणियां

अमूर्त परिसम्पत्तियां

● ई.जर्नल्स	40.00%
● कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	40.00%
● पेटेंट्स एवं कापीराइट्स	9 वर्ष

- (ड) वर्ष के दौरान संयोजनों पर पूरे वर्ष के लिए अवमूल्यन की गणना की जाती है।
- (च) प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों एवं उद्दीष्ट निधियों में से सृजित परिसम्पत्तियां, जहां ऐसी परिसम्पत्तियों का स्वामित्व संस्थान में निहित रहता है, पूंजी निधि के प्रति क्रेडिट द्वारा स्थापित तथा संस्थान की नियत परिसम्पत्तियों के साथ अंतर्भूक्त की जाती हैं। अवमूल्यन को सम्बंधित परिसम्पत्तियों पर लागू दरों के आधार पर प्रभारित किया जाता है। प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों में से सृजित परिसम्पत्तियों का प्रकटीकरण, जहां स्वामित्व प्रायोजक द्वारा प्रतिधारित किया जाता है, परंतु इसे संस्थान द्वारा धारित एवं उपयोग में लाया जाता है, लेखाओं पर टिप्पणियों में अलग से किया जाता है।
- (छ) वे परिसम्पत्तियां, जिनमें से प्रत्येक का निजी मूल्य रु. 2000/- अथवा कम हो (पुस्तकालयी पुस्तकों को छोड़कर) को अल्प मूल्य परिसम्पत्तियों के रूप में जाना जाता है। इनके सम्बंध में 100% अवमूल्यन इनके अधिग्रहण के समय ही उपबंधित कर दिया जाता है। तथापि, वास्तविक लेखांकन एवं नियंत्रण की निरंतरता ऐसी परिसम्पत्तियों के प्रतिधारकों द्वारा जारी रखी जाती है।
- (ज) यह देखा गया है कि वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय पुस्तकालयी पुस्तकों के अधीन " वार्षिक अंशदान" के विरुद्ध भुगतान की गई राशि को पूंजी में परिणत किया जाता है। इस प्रक्रिया को दुरुस्त करने तथा एक स्वच्छ एवं सत्य छवि प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय वर्ष के आरम्भ के प्रथम दिवस पर अवस्थित सभी राशियों को बट्टे खाते डाला जाता है। आगे, वर्ष के दौरान भुगतान की गई कोई भी राशि राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती है।

(iv) $\text{ven} \bar{e} \text{ i f j } | \text{ E f } \bar{u} \text{ k } \text{ la}$

- (क) पेटेंट्सरू पेटेंट्स प्राप्त करने के लिए समय-समय पर खर्च की गई राशि (आवेदन शुल्क, विधिक व्यय आदि) को अस्थाई रूप से पूंजी के रूप में परिणत किया जाता है तथा तुलन-पत्र में अमूर्त परिसम्पत्तियों के एक अंश के रूप में दिखलाया जाता है। यदि पेटेंट्स के लिए आवेदन अस्वीकृत किए जाते हैं, तो आवेदन अस्वीकृत हो जाता है। ऐसे में पेटेंट्स पर स्वीकृत व्यय को परिमित आधार पर 9 वर्षों के जीवन काल के लिए बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।
- (ख) इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नलों (ई-जर्नल्स) को ऐसे सीमित लाभ की दृष्टि से पुस्तकालयी पुस्तकों से पृथक रखा जाता है, जो कि उपलब्ध की गई ऑन-टाइम पहुंच से प्राप्त किया जा सकता है। ई-जर्नल्स मूर्त रूप में नहीं रहता है, परंतु अस्थाई तौर पर पूंजीकृत किया जाता है तथा व्यय की व्यापकता तथा अकादेमिक एवं अनुसंधान कार्मिकों द्वारा अधिगृहित सतत ज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त लाभ की दृष्टि से, ई-जर्नलों पर अवमूल्यन पुस्तकालयी पुस्तकों के सम्बंध में प्रावधान किए गए 20.00% अवमूल्यन के विरुद्ध उच्चतर दर 40.00% पर प्रभारित किया जाता है।
- (ग) सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर व्यय को अमूर्त परिसम्पत्तियों के एक अंश के रूप में कम्प्यूटर्स एवं पेरिफेरल्स से पृथक रखा जाता है। इनके सम्बंध में अप्रयुक्तता की दर बहुत ऊंची होती है। सॉफ्टवेयर के सम्बंध में अवमूल्यन, कम्प्यूटर्स एवं पेरिफेरल्स के सम्बंध में उपबंधित 20.00% के अवमूल्यन के विरुद्ध 40.00% का उच्चतर दर से प्रभारित किया जाता है।

(v) $\text{H} \bar{a} \bar{m} \bar{a}$

रसायनों, कांच की वस्तुओं, प्रकाशनों एवं अन्य भंडार वस्तुओं की खरीद पर व्यय का लेखांकन उस स्थिति को छोड़कर राजस्व व्यय के रूप में किया जाता है, कि दिनांक 31 मार्च को धारित अंत भंडार का मूल्य, विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समवर्तित व्यय में कटौती द्वारा वस्तु-सूचियों के रूप में स्थापित किया जाता है। इनका मूल्य लागत पर निर्धारित किया जाता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के प्रति टिप्पणियां

(vi) I skfuofUky kHk

सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात्, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान आंकड़ा-गत मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। संस्थान के कार्मिकों के पूर्व नियोक्ताओं द्वारा दिए गए पेंशन एवं ग्रेच्युटी का पूंजीकृत मूल्य, जिनका संस्थान में अंतर्विलय किया गया है, सम्बंधित प्रावधान लेखाओं के प्रति क्रेडिट किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों के सम्बंध में प्राप्त पेंशन अवदानों को भी पेंशन लेखांकन हेतु प्रावधान के प्रति क्रेडिट किया जाता है। पेंशन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान सम्बंधित प्रावधानों की लेखाओं में डेबिट करके किया जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात् जमा-संबद्ध-बीमा, नई पेंशन योजना के प्रति अवदान, सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिकित्सकीय प्रतिपूर्ति तथा सेवानिवृत्ति पर गृहनगर जाने के लिए यात्रा व्यय आदि का लेखांकन संभूति आधार पर (वास्तविक भुगतान सहित वर्षांत में बकाया बिलों) पर किया जाता है।

(vii) fofuošk

- (क) दीर्घावधि निवेशों का क्रियान्वयन उनकी लागत अथवा आमुख मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है। तथापि, उनके मूल्य में कोई स्थाई ह्रास कमतर होता है, जिसका कि तुलन पत्र की तारीख तक की स्थिति के अनुसार प्रावधान किया जाता है।
- (ख) अल्पावधि निवेशों का क्रियान्वयन उनकी लागत पर (यदि उद्धृत किया गया हो) किया जाता है, जो भी कम हो।

(viii) m kV@ Lfk hfuf/k ka

निम्नलिखित दीर्घावधि निवेशों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उद्दीष्ट किया जाता है। निधियों में से प्रत्येक का पृथक बैंक लेखा होता है। वृहत शेष रखने वाली लेखाओं का भी निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचरों एवं बॉन्डों तथा बैंक के साथ आवधिक जमा में किया जाता है। विनिवेशों/ अग्रिमों (गृह निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर) से संभूति आधार पर ब्याज तथा बचत बैंक लेखाओं में अर्जित ब्याज सम्बंधित निधि के प्रति क्रेडिट किया जाता है। व्यय एवं अग्रिमों के लिए (गृह निर्माण, वाहन एवं कम्प्यूटर) निधियों को डेबिट किया जाता है। उद्दीष्ट निधियों से सृजित परिसम्पत्तियां, जहां तक कि स्वामित्व सम्बंधित निधि के प्रति निहित होता है, को अग्रेनित किया जाता है तथा परिसम्पत्तियों के पक्ष में बैंक स्थित शेष, निवेशों एवं अर्जित ब्याजों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

- (क) जे. आर. एफ./एस. आर. एफ. निधियां: यूजीसी/सरकार द्वारा कनिष्ठ वरिष्ठ अनुसंधान फेलो के प्रति फेलोशिप के भुगतान के लिए उपलब्ध करवाई गई निधि।
- (ख) वाहन निधि (कम्प्यूटर अग्रिमों सहित) अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मोटर कार, दोपहिया वाहन एवं कम्प्यूटर की खरीद हेतु ब्याज सहित अग्रिमों के भुगतान करने के उद्देश्य से एक आवर्ती निधि।
- (ग) स्थायी निधियां स्थायी निधियां वे होती हैं, जिन्हें विविध वैयक्तिक प्रदाताओं, ट्रस्टों एवं अन्य संगठनों से चेर की स्थापना हेतु एवं मेडल तथा पारितोषिक हेतु, जैसा कि प्रदाताओं द्वारा निर्दिष्ट होता है, प्राप्त की जाती है। स्थाई निधियों में से प्रत्येक के स्वयं का निवेश तथा प्रत्येक स्थाई निधि के लिए बचत बैंक लेखा होती है, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा नगण्य शेष रखा जाता है।

प्रत्येक स्थाई निधि के निवेश से आय को निधि के साथ संयोजित किया जाता है। बचत बैंक लेखा में अर्जित ब्याज सभी स्थाई निधियों में वर्षांत के अंत शेष के अनुपात में प्रत्येक निधि में आबंटित किया जाता है। मेडल एवं पारितोषिक पर व्यय स्थाई निधियों के विनिवेश पर अर्जित आय से पूरी की जाती है तथा शेष को अग्रेनित किया जाता है। चेर के सम्बंध में हालांकि स्थाई निधि के मूलधन का भी उपयोग किया जाता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के प्रति टिप्पणियां

शेषों का प्रतिनिधित्व आरबीआई बॉन्डों एवं नियत जमा में निवेश द्वारा तथा सभी स्थाई निधियों के लिए बचत बैंक लेखाओं में शेष एवं निवेश पर अर्जित आय द्वारा किया जाता है।

(ix) I j d k j h, oa v h h v u q k u

- (क) सरकारी अनुदानों तथा यूजीसी अनुदानों का लेखांकन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। तथापि, जहां वित्तीय वर्ष से सम्बंधित अनुदान की निकासी हेतु संस्वीकृति 31 मार्च के पूर्व प्राप्त होती है, वहां वास्तविक रूप से अनुदान की प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष में होती है तथा इसका लेखांकन संभूति के आधार पर किया जाता है तथा इसके बराबर की राशि को अनुदानकर्ता से वसूलीयोग्य प्रदर्शित की जाती है।
- (ख) जिस सीमा तक पूंजी व्यय के प्रति उपभूक्त (संभूति के आधार पर) सरकारी अनुदानों तथा यूजीसी से प्राप्त अनुदानों को पूंजी निधि में अग्रोनित किया जाता है।
- (ग) राजस्व व्यय की पूर्ति हेतु सरकारी एवं यूजीसी अनुदानों (संभूति के आधार पर) को, जिस सीमा तक इसे उपभूक्त किया गया हो, उस वर्ष के लिए आय के तौर पर माना जाता है जिसमें कि इसे प्राप्त किया गया है।
- (घ) अनप्रयुक्त अनुदानों (ऐसे अनुदानों से भुगतान किए गए अग्रिमों सहित) को अग्रोनित किया जाता है तथा तुलन पत्र में देनदारियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

(x) m i H V f u f / k k a d k f u o s k r F k k , s f u o s k k i j v f t z C k t v k %

जिस सीमा तक तत्काल व्यय हेतु वांछनीय नहीं हो, ऐसी निधियों के विरुद्ध उपलब्ध राशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं बॉन्डों में निवेश किया जाता है अथवा बैंक के साथ नियत अवधि हेतु जमा किया जाता है, तथा शेष बचत बैंक लेखा में छोड़ दिया जाता है।

ऐसे निवेशों पर प्राप्त आय, अर्जित एवं देय व्याज तथा अर्जित परंतु देय नहीं व्याज को सम्बंधित निधियों में संयोजित किया जाता है तथा इन्हें संस्थान की आय माना जाता है।

(xi) C k k i r i f j ; k s u k a

- (क) चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के सम्बंध में, प्रायोजकों से प्राप्त राशियों को " चालू देनदारियां एवं प्रावधान-चालू देनदारियां-अन्य देनदारियां-चल रही प्रायोजित परियोजना के विरुद्ध प्राप्ति" शीर्ष के प्रति क्रेडिट किया जाता है। जब और जहां ऐसी परियोजनाओं के विरुद्ध व्यय/ अग्रिम भुगतान किया जाता है, अथवा सम्बंधित परियोजना लेखा को आवंटित शीर्षोपरि प्रभार से डेबिट किया जाता है, तो देनदारियां लेखा को डेबिट किया जाता है।
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त कनिष्ठ अनुसंधान फेलोशीप हेतु उद्दीष्ट निधि के अतिरिक्त, विभिन्न संगठनों द्वारा भी फेलोशीप एवं छात्रवृत्तियां प्रायोजित की जाती हैं। इनका लेखांकन इस बात को छोड़कर प्रायोजित परियोजनाओं के समरूप ही किया जाता है कि सामान्यतया व्यय सिर्फ फेलोशीप एवं छात्रवृत्तियों के संवितरण पर किया जाता है, जिनमें फेलो एवं स्कॉलरों द्वारा आकस्मिक व्यय हेतु भत्ते संलग्न हो सकते हैं।
- (ग) संस्थान स्वयं द्वारा भी फेलोशीप एवं छात्रवृत्तियां अवार्ड की जाती हैं, जिनका लेखांकन अकादेमिक व्यय के रूप में किया जाता है।

(xii) v k d j

संस्थान का आयकर, आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के अंतर्गत आयकर से छूट प्राप्त होती है। अतः आयकर के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों के प्रति टिप्पणियां

v ud p h 24% v kd fLed nsinkfj ; kar Fk y \$kkv kad scfr fVli f. k ka

(i) v kd fLed nsinkfj ; k%

दिनांक 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार कोई आकस्मिक देनदारियां नहीं थी।

संस्थान के विरुद्ध दर्ज किए गए कोर्ट मामले, पूर्व/ वर्तमान कर्मचारियों, किराएदारों एवं ठेकेदारों द्वारा दर्ज तथा ठेकेदारों के साथ आर्बीट्रेशन मामले निर्णय हेतु लम्बित थे। कर्मचारियों द्वारा दर्ज मामले स्थापन-सम्बंधी, यथा-पदोन्नति, वेतनवृद्धि, वेतनमान, पदच्युती आदि थे। दावा की राशि आकलन-योग्य नहीं था। सूईट मामलों एवं ठेकेदारों द्वारा आर्बीट्रेशन मामले के दावों की राशि शून्य थी (पूर्ववर्ती वर्ष: शून्य)

(ii) i v h c f r c) r k %

पूँजी लेखा में क्रियान्वित किए जाने वाले करारों / ठेका की आकलित राशि, अग्रिमों की शुद्ध राशि तथा दिनांक 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार प्रावधान न की गई राशि: 278,74,38,645/- है (पूर्ववर्ती वर्ष हेतु : 264,86,36,372:-)

(iii) fu; r i f j l E f U k k %

(क) अनुसूची 4 में नियत परिसम्पत्तियों में वर्ष के दौरान संयोजनों में निम्नानुसार विभिन्न निधियों में से खरीद की

fuf/k k	jak k 1/4-1/2
पूँजी परिसम्पत्तियां (35)	7,57,18,109

गई परिसम्पत्तियां सम्मिलित हैं :

(ख) विश्वविद्यालय के पास दिनांक 31 मार्च 2019 तक की स्थिति के अनुसार प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों में से खरीद की गई परिसम्पत्तियां कोई नहीं हैं।

यात्रा	शून्य
रसायनों के आयात हेतु विदेशी ड्राफ्ट	शून्य
अन्य	शून्य

(iv) fonskheakka; %

(v) चालू परिसम्पत्तियां, ऋणों, अग्रिम एवं जमा :

प्रबंधन की राय में चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम एवं जमा सामान्य क्रम-व्यवस्था में वसूली पर जो मूल्य रखता है, वह कम से कम तुलन पत्र में दिखलाई गई सकल राशि के बराबर है।

(vi) पूर्ववर्ती वर्ष के आंकड़े को पुनर्समूहित / पुनर्वर्णित किया गया है, जहां कहीं आवश्यक हो, ताकि उनकी वर्तमान वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना की जा सके।

(vii) अंतिम लेखाओं में आंकड़े को नजदीकी रूप में पूर्ण कर दिया गया है।

(viii) अनुसूची 1 से 24 तक को दिनांक 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा एवं तुलन पत्र के साथ संलग्न किया गया है, तथा ये इनका अविभाज्य अंग है।